

क्षेत्रीय विकास योजना  
क्षेत्र (जोन)– “एफ”  
(दक्षिण दिल्ली – 1)

क्षेत्रीय योजना विंग-I  
दिल्ली विकास प्राधिकरण

## प्रस्तावना

प्राधिकरण की दिनांक 6.9.2007 को हुई बैठक में प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार पहले से विद्यमान वास्तविक संस्थान, जो दिनांक 1.1.2006 के पूर्व के हैं, और लोगों के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक (अध्यात्म सहित), स्वास्थ्य की देखभाल और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करते हैं, किंतु जो रिज या ग्राम सभा या सार्वजनिक भूमि का भाग नहीं है, मुख्य योजना-2021 की धारा 3 और 4 को ध्यान में रखते हुए उनके वर्तमान भूमि उपयोगों के साथ संबंधित जोनल प्लानों में शामिल किए जाएंगे । तथापि, इस प्रकार की संस्थाएं वास्तविक जांच, एफ.ए.आर., विकास प्रभार, भूमि उपयोग, आदि के संबंध में उचित नीति और प्रक्रियात्मक प्रतिबंध-शर्तों की शर्त पर होंगी ।

## विषय-सूची

| क्र.सं. | अध्याय  | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--------------|
| 1-0     | भूमिका  |              |
| 1.1     | पृष्ठभूमि, अवस्थिति, सीमा एवं क्षेत्र             | 1            |
| 1.2     | वैधानिक प्रावधान और उद्देश्य                      | 1            |
| 1.3     | योजना प्रावधान                                    | 1            |
| 1.3.1   | दिल्ली मुख्य योजना-2001                           | 1            |
| 1.3.2   | दिल्ली मुख्य योजना-2021                           | 2            |
| 1.4     | जोन की विशेष विशिष्टताएं                          | 3            |
| 2.0     | क्षेत्रीय विकास योजना प्रस्ताव                    | 4            |
| 2.1     | जनसंख्या और रोजगार                                | 4            |
| 2.1.1   | जनसंख्या धारण क्षमता                              | 4            |
| 2.1.2   | रोजगार  | 5            |
| 2.2     | आवासीय विकास                                      | 5            |
| 2.2.1   | प्लाटिड आवासीय विकास                              | 5            |
| 2.2.2   | पुनर्वास कालोनियां                                | 6            |
| 2.2.3   | गांव  | 6            |
| 2.2.4   | अनधिकृत / नियमित अनधिकृत कॉलोनियां                | 6            |
| 2.2.5   | मिश्रित भूमि उपयोग                                | 6            |
| 2.2.6   | पुनर्वास कालोनियां                                | 7            |
| 2.2.7   | गरीबों के लिए आवास                                | 7            |
| 2.3     | कार्य केन्द्र                                     | 7            |
| 2.3.1   | उद्योग  | 7            |
| 2.3.1.1 | विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास | 8            |
| 2.4     | व्यापार एवं व्यवसाय                               | 9            |
| 2.4.1   | 1962 / दि.मु.-1962 से पूर्व व्यावसायिक क्षेत्र    | 9            |
| 2.4.2   | व्यावसायिक क्षेत्रों की श्रृंखला                  | 9            |
| 2.4.3   | थोक बिक्री व्यापार                                | 10           |
| 2.4.4   | सर्विस मार्केट / अनौपचारिक बाजार                  | 10           |
| 2.4.5   | अनौपचारिक क्षेत्र                                 | 10           |
| 2.4.6   | सरकारी कार्यालय                                   | 10           |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 2.5     | सामाजिक आधारिक संरचना                                | 11 |
| 2.5.1   | स्वास्थ्य  | 11 |
| 2.5.2   | शिक्षा   | 12 |
| 2.5.2.1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)              | 12 |
| 2.5.2.2 | जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय / दिल्ली विश्वविद्यालय | 12 |
| 2.5.2.3 | मैडिकल कॉलेज   | 12 |
| 2.5.2.4 | व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र                         | 12 |
| 2.5.3   | खेल सुविधाएं   | 12 |
| 2.5.4   | संचार / डाक / टेलीग्राफ / टेलीफोन सुविधा             | 13 |
| 2.5.5   | सुरक्षा / बचाव                                       | 13 |
| 2.5.5.1 | पुलिस स्टेशन   | 13 |
| 2.5.5.2 | अग्निशमन केन्द्र                                     | 13 |
| 2.5.6   | आपदा प्रबंध केन्द्र                                  | 13 |
| 2.5.7   | सुविधा केन्द्र                                       | 13 |
| 2.6     | परिवहन   | 15 |
| 2.6.1   | रोड नेटवर्क  | 15 |
| 2.6.2   | शहरी राहत सड़कें                                     | 16 |
| 2.6.3   | बहु आयामी परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.)              | 16 |
| 2.6.4   | परिवहन और भूमि उपयोग के बीच सहक्रिया (प्रभाव जोन)    | 17 |
| 2.6.5   | बस डिपो  | 17 |
| 2.6.6   | साइकल मार्ग (ट्रैक)                                  | 17 |
| 2.6.7   | रेलवे स्टेशन   | 18 |
| 2.6.8   | पार्किंग   | 18 |
| 2.7     | पर्यावरण / पर्यावरण महत्व के क्षेत्र                 | 19 |
| 2.7.1   | मनोरंजनात्मक क्षेत्र                                 | 20 |

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| 2.7.2  | बहुउद्देश्य मैदान  | 21    |
| 2.7.3  | नाले   | 21    |
| 2.7.4  | जलाशय  | 21    |
| 2.8    | शहरी डिजाइन  | 22    |
| 2.8.1  | जिला केन्द्र   | 22    |
| 2.8.2  | अन्य क्षेत्र   | 22    |
| 2.9    | निर्मित विरासत का संरक्षण  | 22    |
| 2.9.1  | विरासत जोन   | 22    |
| 2.9.2  | पुरातत्व पार्क   | 22    |
| 3.0    | भौतिक आधारिक संरचना  | 23    |
| 3.1    | जल आपूर्ति   | 23    |
| 3.2    | सीवरेज / ड्रेनेज / कूड़ा करकट  | 23    |
| 3.3    | पाँवर  | 23    |
| 4.0    | भूमि उपयोग विश्लेषण  | 24    |
| 4.1    | जिन भूमि उपयोगों का परिवर्तन अधिसूचित किया गया है                                    | 24    |
| 4.2    | जिन भूमि उपयोगों के परिवर्तन प्रधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं                            | 25    |
| 4.3    | विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट भूमि उपयोग परिवर्तन के अन्य मामले          | 26    |
| अनुबंध | 'क'—शहरी गांवों की सूची  | 29    |
|        | 'ख'—अनधिकृत कॉलोनियों की सूची  | 31    |
|        | 'ग'—मिश्रित उपयोग सड़कों / व्यावसायिक सड़कों / मार्गों / पैदल शॉपिंग मार्गों की सूची | 34—48 |
|        | 'डी'—जल निकायों की सूची  | 49    |
|        | 'ई'—स्मारकों की सूची   | 50—64 |

## क्षेत्रीय विकास योजना-‘एफ’ (दक्षिण दिल्ली-1)

### 1.0 परिचय

#### 1.1 पृष्ठ भूमि, अवस्थिति, सीमाएं और क्षेत्र :

मुख्य योजना-2021 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 15 योजना जोनों में विभाजित किया गया है, जिन्हें ‘ए’ से ‘पी’ तक (जोन-आई को छोड़कर) नाम दिये गए हैं । 11958 हेक्टे. क्षेत्र में फैला जोन-‘एफ’ धौला कुआ से महारानी बाग तक रिंग रोड के दक्षिण में स्थित है । पूर्व में यह यमुना नदी और रा.रा.मार्ग-2 बाई पास से घिरा है, पश्चिम में दिल्ली छावनी क्षेत्र, इन्द्रा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रा. रा.मार्ग-8 बाई पास से घिरा है और दक्षिण में यह बदरपुर महरौली-महिपालपुर रोड से घिरा है ।

स्वतंत्रता काल से पूर्व और दि.मु.यो.-1962, दि.मु.यो.-2001 और अब दि.मु.यो.-2021 के माध्यम से इस जोन का विकास किया जाता रहा है । विविधता इस जोन की एक विशेषता है, जहां विभिन्न योजनाओं के मानदंडों के अंतर्गत विकसित अनियोजित और नियोजित क्षेत्र एक साथ मौजूद हैं ।

इस जोन में कुछ अति महत्वपूर्ण संस्थान (जैसे-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, होली फेमली अस्पताल), विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान जैसे-दिल्ली विश्व विद्यालय का दक्षिणी परिसर, आई.आई.टी., जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया आदि हैं । इस जोन में काफी संख्या में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक भी हैं ।

#### 1.2 वैधानिक प्रावधान और उद्देश्य :

दिल्ली विकास अधिनियम-1957 की धारा 8 में मुख्य योजना तैयार करने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास योजना में अनुमानित अवस्थिति और सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक भवनों, उपयोगिताओं, सड़कों, आवास, मनोरंजनात्मक, उद्योग, व्यवसाय आदि भूमि उपयोग सीमा सहित स्थल योजना और भूमि उपयोग योजना शामिल हैं । इसमें जनसंख्या के मानकों, घनत्व और जोन के विकास के विभिन्न घटकों को भी विनिर्दिष्ट किया जा सकता है ।

### 1.3 योजना प्रावधान

#### 1.3.1 दिल्ली मुख्य योजना-2001

दिल्ली मुख्य योजना-2001 के अनुसार वर्ष 2001 तक के लिए लगभग 12,78,000 जनसंख्या हेतु जोन ‘एफ’ की क्षेत्रीय योजना तैयार की गई थी और इस जोन का कुल क्षेत्रफल 11958 हेक्टे. था ।

दि.मु.यो.-2001 के अनुसार विस्तृत उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- 1) दक्षिणी केन्द्रीय रिज (महरौली), वनों और अन्य हरित मैदानों की हरित विशेषता को सुरक्षित रखना और बढ़ाना ।
- 2) आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग गतिविधियों के लिए प्रावधान बनाना ।
3. महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों की पहचान करना और उनका संरक्षण करना ।

भारत सरकार, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. के-13011/2/94-डी.डी.आई.बी. दिनांक 5.6.98 द्वारा क्षेत्रीय विकास योजना का अनुमोदन कर दिया गया है ।

### 1.3.2 दिल्ली मुख्य योजना-2021

दि.मु.यो.-2021 में इस क्षेत्र की जनसंख्या क्षमता लगभग 19,75,000 होना और इस जोन का कुल क्षेत्रफल 11,958 हेक्टे. होना निर्धारित किया गया है ।

दि.मु.यो.-2021 में स्थानीय क्षेत्र योजना, गांवों, अनधिकृत कालोनियों और निर्मित क्षेत्रों का पुनर्विकास, एम.आर.टी.एस. प्रभावित जोन में आवासीय क्षेत्रों की पुनः संरचना और उन्नयन और मुख्य परिवहन कॉरिडोर, विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय उपयुक्त रूप में शामिल की जाने वाली मनोरंजनात्मक और खेल सुविधाओं का एक नेट वर्क जैसे कई योजना उपायों को निर्धारित किया गया है ।

जोन का मैप रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस.टूल्स का उपयोग करके तैयार किया जाएगा और जहां तक भू-स्थिति का संबंध है, महत्वपूर्ण डाटा रखने के लिए समय-समय पर उसे अद्यतन किया जाएगा और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत विकास और अतिक्रमण का पता लगाने और बचाव के लिए और हरितों के संरक्षण के लिए निवेश रखा जाएगा । वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए सेटलाइट इमेज और अद्यतन एस.ओ.आई.नक्शों की मदद ली गई है ।

#### 1.4 जोन की विशेष विशिष्टताएं:

जोन 'एफ' इसके निम्न घनत्व और हरित विशेषता के साथ पहचान योग्य है । इस क्षेत्र में मुख्यतः नियोजित, अच्छे रखरखाव वाले पॉश आवासीय इलाके शामिल हैं । इसमें पुनर्वास कालोनियां और सरकारी आवासीय क्षेत्र भी शामिल हैं । इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी शहरी विरासत है, जिसमें दिल्ली के प्रथम चार शहर लाल कोट, सीरी, तुगलकाबाद और जहांपनाह स्थित हैं । यहां कई विकसित पार्क हैं जिसमें नगर वन और पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं । लुटिअन की दिल्ली के अतिरिक्त इस जोन में सुनियोजित आवासीय क्षेत्र हैं । यह जोन अधिकतर दि.मु.यो. 1962 के अनुसार नियोजित किया गया है । उच्च आय श्रेणी के कुछ इलाके हैं—वसंत विहार, वैस्ट एन्ड, आनन्द निकेतन, पंचशील, फ्रेंड्स कालोनी, महारानी बाग, हौजखास, साउथ एक्स., न्यू फ्रेंड्स कालोनी, मेफेयर गार्डन, गुलमोहर पार्क, गीतांजली, ईस्ट ऑफ कैलाश, सफदरजंग विकास योजना आदि । इस क्षेत्र की आवासीय अवस्थिति निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है :

- क. पुनर्वास कालोनियां
- ख. सरकारी आवास योजनाएं
- ग. को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी
- घ. निजी विकसित कालोनियां
- ङ. दि.वि.प्रा. द्वारा समूह आवास योजनाओं सहित विकसित किये गए आवासीय क्षेत्र ।
- च. स्लम एवं जे.जे. आवास योजनाएं
- छ. अनधिकृत/नियमित कालोनियां
- ज. शहरीकृत गांव

यहां तीन जिला केन्द्र नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस और साकेत हैं ।

यह जोन बड़े हरित क्षेत्र और खुले स्थल के विचार से बेजोड़ है । दक्षिणी केन्द्र (महरौली रिज) जो एक संरक्षित क्षेत्र है, क्षेत्रीय पार्कों के अनुक्रम में पड़ता है । बड़े जिला पार्कों के अतिरिक्त इसमें दो नगरवन हौजखास और जहांपनाह हैं । इसमें विभिन्न खेल परिसर जैसे सीरी फोर्ट, साकेत और लॉन टेनिस स्टेडिआ भी हैं ।

इस जोन में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों प्रकार की प्रमुख सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं हैं । इन स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं में कुछ राष्ट्रीय महत्व की हैं । इस जोन के नियोजित और विकसित क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं अन्य जोन की जनता को भी प्रदान की जाती हैं । इसमें तीन बड़े सामाजिक सांस्कृतिक सांस्थानिक क्षेत्र अर्थात् सीरी फोर्ट, आई.आई.टी. का दक्षिण और तुगलकाबाद हैं ।

जे.एन.यू. के पश्चिम में सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, व्यावसायिक क्षेत्रों, मनोरंजनात्मक क्षेत्रों और अर्ध-विकसित क्षेत्रों का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।



## 2.0 क्षेत्रीय विकास योजना प्रस्ताव :

क्षेत्रीय योजनाएं, मुख्य योजना-2021 की नीतियों का ब्यौरा देंगी और ले-आउट प्लान एवं मुख्य योजना को जोड़ने का काम करेंगी । विकास योजनाएं और ले-आउट प्लान विभिन्न उपयोग परिसरों को निर्दिष्ट करते हुए मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजनाओं के अनुसार होंगे ।

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में दिये गए शहरी विकास की श्रेणीबद्धता नगर स्तर, क्षेत्रीय योजना स्तर और ले-आउट स्तर/स्थानीय क्षेत्र योजना स्तर पर दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत करती है ।

स्थानीय क्षेत्र योजना, योजना और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार संबंधित स्थानीय निकायों के साथ आर.डब्ल्यू.ए./स्वामियों/ठेकेदारों, एन.जी.ओ. के अन्य स्टॉक होल्डरों को शामिल करके पूरी की जाएगी ।

सामुदायिक पहल न केवल रचनात्मक मार्गों, भू-दृश्यांकन, बरसाती नाले, निकटवर्ती रख-रखाव, हरित, सुरक्षा कार्यक्रम जैसे सामने दिखने वाले कार्यों के लिए काम में लाई जाएगी, बल्कि प्रमुख संरचना परियोजनाओं में पूर्वकार्य रूचि लेते हुए दीर्घावधि अनुकूल दृश्य भी प्रस्तुत करेगी ।

वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए रिमोट सेंसिंग डाटा और जी.आई.एस. टूल्स का उपयोग किया जाएगा ।

## 2.1 जनसंख्या और रोजगार :

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| i)   | विद्यमान जनसंख्या वर्ष 2001            | 17,17,000 |
| ii)  | दि.मु.यो. 2021 में बताई गई धारण क्षमता | 19,75,000 |
| iii) | अनुमानित जनसंख्या वर्ष-2021            | 19,75,000 |

### 2.1.1 जनसंख्या धारण क्षमता

जोन 'एफ' की जनसंख्या धारण क्षमता दि.मु.यो. 2021 के अनुसार एक विकास नीति और विभिन्न विकास मानकों के माध्यम से बढ़ाई जानी है । यह निम्नलिखित से संबंधित होगी :

- i) उच्चतर समावेशन के लिए आवासीय विकास का प्रकार और उनकी क्षमता ।
- ii) कम सघनता पर विकसित हुए आवास क्षेत्रों और मेट्रो कॉरिडोर के साथ चुने हुए भागों का पुनः सघनीकरण ।
- iii) संबंधित एजेंसियों द्वारा पुनर्विकास क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यान्वयन के लिए विशेष पुनर्विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ।
- iv) रोजगार क्षेत्र/केन्द्र ।
- v) भौतिक और सामाजिक संरचना की वृद्धि और पुनर्गठन ।
- vi) परिवहन नेटवर्क क्षमता में वृद्धि ।

### 2.1.2 रोजगार :

विभिन्न गतिविधियों पर आधारित इस क्षेत्र में कार्यबल के कार्य के लिए निम्नलिखित स्थल हैं :

- i) ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, 2 एवं 3
- ii) मोहन को-ऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र
- iii) एस.आई.एस.आई.कॉम्प्लैक्स, मोदी फ्लोर मिल के निकट ओखला
- iv) जिला कोर्ट
- v) दिल्ली विश्व विद्यालय, साउथ कैम्पस
- vi) साकेत, भीकाजी कामा प्लेस और नेहरू प्लेस में जिला केन्द्र ।
- vii) मदनपुर खादर में प्रस्तावित समेकित भाड़ा परिसर
- viii) दक्षिणी आई.आई.टी., तुगलकाबाद और सीरी फोर्ट में सांस्थानिक क्षेत्र
- ix) सरकारी कार्यालय

### 2.2 आवासीय विकास

#### 2.2.1 प्लाटिड आवासीय विकास :

जोन 'एफ' (दक्षिणी दिल्ली-I) इसकी पॉश आवासीय कॉलोनियों के लिए जाना जाता है जिसकी लाइफ स्टाइल एक्सक्लूसिव है । कुछ निजी और दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित की गई को छोड़कर इनमें से अधिकांश दिल्ली सरकार/भारत सरकार, दि. वि.प्रा. द्वारा आवंटित भूमि पर, को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा विकसित की गई थीं । इन कॉलोनियों में मनोरंजनात्मक, शॉपिंग और अन्य सुविधाएं हैं । इन आवासीय पॉकेटों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनकी विशेषता के रखरखाव और उसमें वृद्धि के लिए दि.मु.यो.-2021 के पैरामीटर के अन्दर पुनः विकास नियमित किया जाना चाहिए ।

आर.के.पुरम का सबसे बड़ा सरकारी आवास परिसर तुलनात्मक दृष्टि से कम घनत्व पर विकसित किया गया था । यहां मोती बाग, नानकपुरा, नारौजी नगर, एन्ड्र्यूज गंज, सादिक नगर, पुष्प विहार जैसे अन्य कई सरकारी आवास कॉम्प्लैक्स हैं । सरकारी आवास क्षेत्रों के अतिरिक्त यहां एअर इंडिया, इंडियन एअरलाइन्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम.एम.टी.सी., एस.टी.सी., दिल्ली सरकार, एम.सी.डी. और डी.डी.ए. जैसे अन्य स्टाफ आवास क्षेत्र हैं । ये कॉलोनियां कम घनत्व पर विकसित की गई थीं, इन पॉकेटों के पुनःसघनीकरण का प्रस्ताव प्रधान मानकों के अनुसार व्यापक शहरी डिजाइन योजना और अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था पर आधारित है । व्यापक योजना, पुराने आवास क्षेत्रों के विकास के लिए संबंधित और उपयोगकर्ता कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और शहरी डिजाइन के बिना कोई खण्डशः कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

### 2.2.2 पुनर्वास कालोनियां :

देश के स्वतंत्र होने के बाद विस्थापित व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के लिए पुनर्विकास मंत्रालय द्वारा यहां विकसित की गई बड़ी संख्या में पुनर्वास कालोनियां हैं। इनमें लाजपत नगर, कालकाजी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर आदि शामिल हैं। मुख्यतः आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधियों के कारण ये बहुत सघन हो गई हैं। अतः यह आवश्यक है कि कुछ पॉकेटों जहां बहुत अधिक भीड़-भाड़ है, शहरी नवीकरण योजनाएं तैयार की जाएं और स्थानीय निकाय द्वारा अपेक्षित आधारीक संरचना की व्यवस्था की जाए।

### 2.2.3 गांव :

जोन 'एफ' में 36 गांव (अनुबंध 'क' देखें) हैं। इन गांवों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। पुनर्विकास योजना में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सम्पत्ति अथवा परिसर स्तर के अन्दर मिश्रित उपयोग जोन की अनुमति प्रमुख आवासीय क्षेत्रों के अनुकूल है। विकास और सुधार के लिए गांवों के लिए ग्राम पुनर्विकास योजनाएं अवश्य तैयार की जानी चाहिए। गांव की आबादी को 'विशेष क्षेत्र' के रूप में लिया जाएगा, जहां दि.मु.यो.-2021 का विशेष क्षेत्र विनियम लागू होगा।

### 2.2.4 अनधिकृत/नियमित अनधिकृत कॉलोनियां :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 1432 अनधिकृत कॉलोनियाँ निर्दिष्ट की गई हैं जो नियमितीकरण की प्रक्रिया के अधीन हैं। इस क्षेत्र में पड़ने वाली कॉलोनियों की सूची (अनुबंध-ख) संलग्न है।

सभी अनधिकृत कॉलोनियां चाहे वह निजी भूमि पर हों अथवा सरकारी भूमि पर, समय-समय पर जारी होने वाले सरकारी आदेशों के अनुसार नियमित की जाएंगी। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि भौतिक और सामाजिक संरचना के सुधार के लिए सेवाओं और सामुदायिक सुविधाओं के न्यूनतम आवश्यक/व्यवहार्य स्तर, दि.मु. योजना-2021 में दिये गए मानदंडों के अनुसार प्रदान किये गए हैं।

### 2.2.5 मिश्रित भूमि उपयोग :

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अधिसूचना दिनांक 7.9.2006, 14.9.2006, 15.9.2006 और 12.4.2007 द्वारा कुछ मार्गों को मिश्रित उपयोग मार्गों, व्यावसायिक स्ट्रेच/स्ट्रीट और पैदल शॉपिंग स्ट्रीट अधिसूचित किया है। जोन 'एफ' में पड़ने वाली स्ट्रीट्स की सूची (अनुबंध-'ग') संलग्न है।

### 2.2.6 पुनर्वास कालोनियाँ

इस जोन में अनेक पुनर्वास कालोनियाँ हैं । अधिकतर पुनर्वास कालोनियों में अनिवार्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, परंतु तत्काल आवश्यकता व्यक्तिगत सेवाओं अर्थात् जल, सीवरेज एवं विद्युत की है । स्वास्थ्यवर्धक एवं बेहतर पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए आवासों का निर्माण अनुमोदित/मानक भवन नक्शों के आधार पर किये जाने की आवश्यकता होगी ।

सहकारी सोसायटियाँ/प्राइवेट डिवेलपर्स/सरकारी एजेंसियाँ आबादकार पुनर्वास योजना के लिए लागू प्रोत्साहनों के आधार पर विकास कार्य हेतु आगे आ सकती हैं ।

### 2.2.7 गरीबों के लिए आवास

रिकार्ड के अनुसार इस जोन में 40,000 से अधिक पुनर्वास प्लॉट और 31,500 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/जनता आवास इकाइयाँ हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

प्लॉट:

| क्रम सं. | कालोनी का नाम एवं क्षेत्रफल एकड़ में | कुल प्लॉट |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 1        | सनलाइट कालोनी (48.05)                | 845       |
| 2        | श्रीनिवास पुरी (15.09)               | 423       |
| 3        | गढ़ी गाँव (7.68)                     | 384       |
| 4        | कालकाजी (58.60)                      | 1762      |
| 5        | मदनगीर (139.2)                       | 6354      |
| 6        | दक्षिणपुरी आवा./स्कीम (77.90)        | 5803      |
| 7        | दक्षिणपुरी एक्स. (47.07)             | 6429      |
| 8        | टिगरी (38.8)                         | 1954      |
| 9        | मोती बाग रिंग रोड (14.5)             | 299       |
| 10       | खानपुर का पश्चिमी भाग (14.77)        | 1206      |
| 11       | मदनपुर खादर                          | 7686      |
| 12       | मदनपुर खादर (23.76)                  | 2353      |
| 13       | मोलड़बन्द फेज-I एवं II (51.00)       | 4798      |

स्लम विंग के कुल प्लॉट 7151

दि.वि.प्रा. के कुल प्लॉट 33145

### 2.3 कार्य केन्द्र

#### 2.3.1 उद्योग

उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न उपयोग जोनों में अनुमत उद्योगों की विशिष्ट श्रेणी के संबंध में प्रस्ताव की शर्त पर निषिद्ध श्रेणी और गैर निषिद्ध श्रेणी सहित

सरलीकृत किया जाना प्रस्तावित है । (अनुबंध-I, II, III दिल्ली मुख्य योजना-2021)

इसके अतिरिक्त, जोन एफ. के सभी नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों को केवल एक भूमि उपयोग श्रेणी अर्थात् उद्योग के अंतर्गत निर्धारित किया गया है । सभी औद्योगिक इकाइयों को कामगारों की संख्या और विशिष्ट श्रेणियों में पॉवर लोड संबंधी विशिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करना होगा ।

निषिद्ध श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्योगों को दिल्ली में स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (अनुबंध-III) । निषिद्ध श्रेणी वाली विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अपने आपको दिल्ली के बाहर पुनः स्थापित करने की आवश्यकता होगी ।

### 2.3.1.1 विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में बताया गया है कि विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास संबंधी मार्ग निर्देश 2 वर्ष के अन्दर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय के साथ परामर्श करके तैयार किये जाएंगे ।

पुनर्विकास योजनाओं में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे :-

- i) विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन ; और
- ii) उस क्षेत्र का पुनर्विकास, जो दो मुख्य योजनाओं की अवधि से अधिक समय से उद्योगीकृत बन चुका है, चाहे उसे इस रूप में निर्धारित न किया गया हो ।  
ये उद्योगीकृत क्षेत्र 70 के दशक में विकसित किये गये थे और कई वर्षों से ये भौतिक आधारिक संरचना के कारण पर्याप्त रूप से पिछड़े हुए हैं और कुछ मामलों में ये कमियाँ पूरी तरह से बनी रही हैं । इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में कार्यकलापों की प्रकृति में भी परिवर्तन आये तथा प्लाटों के भाग को ऐसे कार्यकलापों के लिए उपयोग करने की माँगें भी आईं, जिन्हें व्यावसायिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

इस जोन में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र हैं :-

- 1) ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज- I, II एवं III
- 2) मोहन कॉर्पोरेटिव औद्योगिक क्षेत्र
- 3) एस.आई.एस.आई.कॉम्प्लेक्स, ओखला मोदी फ्लोर मिल के समीप ।

अतः पर्यावरणात्मक दृष्टिकोण की तरफ समुचित ध्यान देते हुए विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता है । चूंकि अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र बृहद् जन परिवहन मार्गों के आस-पास स्थित हैं, इसलिए पुनर्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से इन क्षेत्रों के आस-पास उपयोग अधिकतम करने की भी आवश्यकता है ।

उन्नयन एवं पुनर्विकास की इस प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से और सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के रूप में पूरा किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें ठेकेदार अपना बेहतर योगदान दे सकेंगे और बाद में उपयुक्त प्रचालन एवं रखरखाव प्रबंध के माध्यम से रखरखाव कर सकेंगे ।

## 2.4 व्यापार एवं व्यवसाय

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में व्यावसायिक क्षेत्रों की पंच स्तरीय श्रृंखला निर्दिष्ट है, जिसमें अपेक्षित शॉपिंग, व्यावसायिक कार्यालय एवं सिनेमा, होटल रेस्टोरेंट जैसे अन्य सेवा कार्यकलाप और विभिन्न सामुदायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ समन्वित रूप से समायोजित की जानी हैं । सर्विस मार्केट और अनौपचारिक बाज़ार को, जहाँ कहीं संभव हो, जिला केन्द्रों के साथ समन्वित किये जाने की आवश्यकता होगी । पुराने जिला केन्द्रों में आधारिक संरचना एवं निर्मित वातावरण का सुधार करने में डिवेल्पर्स, स्वामित्व एसोसिएशनों की भागीदारी को शामिल किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर के साथ-साथ कुछ चुने गये क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग के कुछ घटकों की व्यवस्था मिश्रित उपयोग, गैर श्रृंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्रों और अनौपचारिक सेक्टर में भी की गई है ।

### 2.4.1 1962/दि.मु.यो.-1962 से पूर्व व्यावसायिक क्षेत्र

वे आवासीय क्षेत्र एवं स्ट्रीट/स्थान, जो पहले व्यावसायिक क्षेत्रों/स्ट्रीट्स के रूप में घोषित किये जा चुके थे अथवा जहाँ दिल्ली मुख्य योजना-1962 में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, वे ऐसे उपयोग को कम से कम दिल्ली मुख्य योजना 1962 में अनुमेय सीमा तक जारी रखेंगे । आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पूर्व विद्यमान व्यावसायिक कार्यकलापों को भी उनका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त पर अनुमति दी जाती है ।

### 2.4.2 व्यावसायिक क्षेत्रों की श्रृंखला

व्यावसायिक क्षेत्रों की निम्नलिखित पाँच स्तरीय प्रणाली अपेक्षित शॉपिंग, व्यावसायिक कार्यालय एवं सिनेमा, होटल व रेस्टोरेंट जैसे अन्य सेवा कार्यकलाप और विभिन्न सामुदायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ समन्वित रूप में समायोजित किये जाने के लिए निर्धारित हैं । तीन जिला केन्द्र अर्थात् नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस और साकेत हैं । इनमें से दो जिला केन्द्र अर्थात् नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस पहले ही विकसित किये जा चुके हैं तथा साकेत स्थित एक जिला केन्द्र का विकास किया जा रहा है । जोन-एफ में दो गैर श्रृंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्र प्रस्तावित थे । इनमें से एक सीरी फोर्ट के पास खेलगाँव रोड पर है और दूसरा ओखला में प्रस्तावित पैसेन्जर टर्मिनल के निकट स्थित है । तथापि, पैसेन्जर टर्मिनल के निकट केवल एक एन.सी.प्रस्तावित था । व्यावसायिक केन्द्र की व्यवहार्यता प्रस्तावित पैसेन्जर टर्मिनल की व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी ।

### 2.4.3 थोक बिक्री व्यापार

मदनपुर खादर में 108 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित एकीकृत भाड़ा परिसर है और इसके अतिरिक्त, इस भाड़ा परिसर के साथ लगे हुए ट्रक टर्मिनल के लिए अन्य 50 हेक्टेयर प्रस्तावित है। यह परिसर गोदाम एवं परिवहन सुविधाओं सहित संयुक्त योजना के रूप में निर्धारित है, ताकि सामान को सड़क और रेल द्वारा आसानी से लाया-ले जाया जा सके।

### 2.4.4 सर्विस मार्केट/अनौपचारिक बाजार

फल एवं सब्जी, सर्विस एवं मरम्मत, जंक एवं स्क्रेप मैटेरियल (कबाड़ी), बिल्डिंग मैटेरियल, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप आदि के लिए कम टर्न ओवर वाली और अधिक स्थान घेरने वाली दुकानों के लिए विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। योजनाबद्ध फुटकर बाजार सहित ऐसे कार्यकलापों को गुप के रूप में करने से दुकानों का उच्च लाभ वाले व्यावसायिक कार्यकलाप में परिवर्तन हो जाता है।

इस स्थिति को जारी रखने से बचने के लिए स्थानीय बाजारों/सुविधा बाजारों के उपयोग न किये जाने वाले स्थलों के लगभग 10 प्रतिशत को सर्विस मार्केटों में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। ये स्थानीय क्षेत्र/ले आउट प्लान में दर्शाये जाएंगे।

### 2.4.5 अनौपचारिक क्षेत्र

अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयाँ अपने आपको नीतिबद्ध रूप से रोजगार केन्द्रों, व्यावसायिक क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों एवं परिवहन केन्द्रों की चारदीवारी के बाहर और बड़े आवासीय समूहों के निकट स्थापित करती हैं। इन इकाइयों की बड़ी संख्या मोबाइल प्रकृति की होती है। जोन 'एफ' में इस कार्यकलाप की बहुत बड़ी प्रतिशतता देखी गई है।

"फेरीवाले" एवं "गैर-फेरी वाले" जोन संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जाने हैं।

### 2.4.6 सरकारी कार्यालय

इस जोन में लगभग 0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल सरकारी कार्यालयों के अधीन है तथा इन कार्यालयों की अवस्थिति नीचे दी गई है :-

- i) कार्यालय परिसर - आर.के.पुरम
- ii) कार्यालय परिसर - एम.बी.रोड
- iii) कार्यालय परिसर - पुष्प विहार के सामने
- iv) साकेत स्थित जिला न्यायालय परिसर

## 2.5 सामाजिक आधारिक संरचना

इस जोन में सामाजिक आधारिक संरचना का सुधार निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जाएगा :-

- i) अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े परिसरों का पुनर्विकास ।
- ii) दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार एफ.ए.आर. में वृद्धि करना ।
- iii) नगर स्तर पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को उपयोग की गई सरकारी भूमि के अन्तर्गत उपयोग करके पूरा किया जाएगा ।

### 2.5.1 स्वास्थ्य

#### 2.5.1.1 अस्पताल

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में बताया गया है कि दिल्ली में प्रति हजार जनसंख्या के लिए विद्यमान बिस्तर घनत्व केवल 2.2 निकाला गया है । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने प्रति हजार जनसंख्या के लिए 5 बिस्तर के मानदण्ड की सिफारिश की है ।

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में अस्पतालों की निम्नलिखित श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है :-

- श्रेणी-क (501 बिस्तर और अधिक) प्रति 5 लाख जनसंख्या के लिए ।
- श्रेणी-ख (201 बिस्तर से 500 बिस्तर तक) प्रति 2.5 लाख जनसंख्या के लिए ।
- श्रेणी-ग (101 बिस्तर से 200 बिस्तर तक) प्रति 1 लाख जनसंख्या के लिए ।
- श्रेणी-घ (100 बिस्तर तक) प्रति 1 लाख जनसंख्या के लिए ।

अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं, जिनमें प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, परिवार कल्याण केन्द्र, पॉलीक्लिनिक, शिशु केन्द्र, निदान केन्द्र आदि शामिल हैं, की व्यवस्था दिल्ली मुख्य योजना-2021 में दिये गए मानकों के अनुसार की जाएगी ।

जोन 'एफ' में स्थित अस्पतालों की सूची निम्नानुसार है -

1. होली फ़ैमिली अस्पताल
2. एस्कोट्स
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स)
4. सफदरजंग अस्पताल
5. अपोलो अस्पताल
6. वेणु नेत्र संस्थान अस्पताल
7. पुष्पावती सिंघानिया अस्पताल
8. लाला राम स्वरूप टी.बी. अस्पताल
9. जी.एम.मोदी अस्पताल
10. मैक्स म्यूलर अस्पताल
11. मजीदिया हमदर्द अस्पताल



विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एफ.ए.आर. में वृद्धि करके मौजूदा पुराने अस्पतालों का पुनर्निर्माण, सुधार और आधुनिकीकरण प्रस्तावित है ।

## 2.5.2 शिक्षा

### 2.5.2.1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)

कटवारिया सराय गाँव के निकट जोन 'एफ' में स्थित "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)" प्रमुख संस्थानों में से एक है, जो नगर की आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

### 2.5.2.2 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय/दिल्ली विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नगर स्तरीय सुविधा है । इस क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के उनके अपने परिसर के अंदर अनेक कॉलेज अर्थात् आत्माराम, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, लेडी श्रीराम, मोती लाल नेहरू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, राम लाल आनन्द कॉलेज, अरबिन्दो कॉलेज आदि हैं । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नेल्सन मंडेला मार्ग के साथ-साथ बाहरी रिंग रोड के दक्षिण में स्थित है ।

### 2.5.2.3 मैडिकल कॉलेज

इसमें दो मैडिकल कॉलेज अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) और सफदरजंग अस्पताल हैं जो नीतिगत रूप से अवस्थित हैं और उनमें नगर एवं क्षेत्र की जनसंख्या तथा बहुत से मायनों में पूरे देश की जनता की सेवा करने के लिए अनेक विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं ।

### 2.5.2.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार प्रति 5 लाख जनसंख्या के लिए एक आई.टी.आई. (व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र) की आवश्यकता है । इस जोन में सीरीफोर्ट परिसर के निकट एक आई.टी.आई. (महिलाओं के लिए) और दो पॉलीटेक्नीक अर्थात् जी.बी.पंत एवं मीराबाई महिला पॉलीटेक्नीक हैं तथा वेणु अस्पताल के निकट एक वोकेशनल कॉलेज स्थित है ।

## 2.5.3 खेल सुविधाएँ

शहर में विभिन्न एजेंसियों जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.), दि.वि.प्रा., रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार आदि द्वारा बड़ी मात्रा में खेल सुविधाएँ विकसित की गई हैं । तथापि, खेल कार्यकलापों को अभी तक मनोरंजनात्मक उपयोग का एक हिस्सा माना जाता है । यह भी महसूस किया गया है कि अनेक सुविधाओं, जो विकसित की गई हैं, को मनोरंजन और/अथवा क्लब की तरह की सुविधाओं के रूप में देखा जाना चाहिए । जोन 'एफ' में उत्कृष्ट खेल सुविधाओं जैसे सीरीफोर्ट खेल परिसर, साकेत

खेल परिसर, वसंत कुंज खेल परिसर, डियर पार्क के अन्दर खेल सुविधाएँ और जसोला खेल परिसर का बड़ा नेटवर्क है ।

#### 2.5.4 संचार/डाक/टेलीग्राफ/टेलीफोन सुविधा

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार उदारीकरण और तकनीकी उन्नति के कारण ले-आउट प्लान में दूरभाष केन्द्र और संचार के अन्य तरीकों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं रखा जाएगा ।

इस जोन में सीरीफोर्ट के निकट और ग्रेटर कैलाश-1 के निकट दो ट्रांसमिशन केन्द्र स्थल निर्धारित हैं ।

#### 2.5.5 सुरक्षा/बचाव

शहर में सुरक्षा के पहलू की देखभाल करने वाली मुख्य एजेंसी दिल्ली पुलिस है ।

##### 2.5.5.1 पुलिस स्टेशन

इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चौदह पुलिस स्टेशन मौजूद हैं ।

##### 2.5.5.2 अग्निशमन केन्द्र

मानकों के अनुसार प्रत्येक 5 लाख आबादी के लिए 5-7 किलोमीटर की परिधि में तीन अग्नि शमन केन्द्रों की व्यवस्था होनी चाहिए । अतः इस जोन में 12 अग्निशमन केन्द्र की आवश्यकता है ।

#### 2.5.6 आपदा प्रबंध केन्द्र

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार प्रत्येक प्रशासनिक जोन में एक आपदा प्रबंध केन्द्र होना प्रस्तावित है । एक आपदा प्रबंध केन्द्र मथुरा रोड़ पर एकीकृत भाड़ा परिसर मदनपुर खादर में उपयुक्त पार्किंग, अस्थायी शैल्टर, परेड ग्राउन्ड आदि सहित बनाये जाने का प्रस्ताव किया जा सकता है ।

#### 2.5.7 सुविधा केन्द्र

पूर्व मुख्य योजना में दिये गये मानकों के अनुसार सुविधा केन्द्र की योजनाएँ तैयार की गई थीं । चूंकि कुछ वर्षों से आवश्यकताओं में परिवर्तन आया है, पहले प्रस्तावित सुविधाओं के लिए उपयोग न की गई भूमि को आवश्यकता के अनुसार अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है । इस जोन "एफ" में सुविधा केन्द्रों का विवरण नीचे दिया गया है :-

| क्रम सं. | सुविधा केन्द्र सं. | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | प्रस्तावित सुविधा |
|----------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1        | एफ सी-27           | 6.50                   | मध्यवर्ती अस्पताल |

|   |          |       |  |
|---|----------|-------|--|
|   |          |       | 'क', मध्यवर्ती अस्पताल 'ख', अग्नि शमन केन्द्र, तारघर, प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम ।  |
| 2 | एफ सी-28 | 4.25  | मध्यवर्ती अस्पताल 'क', मध्यवर्ती अस्पताल 'ख', नर्सिंग होम (2) ।  |
| 3 | एफ सी-29 | 20.00 | आई.टी.आई.- तकनीकी स्कूल+कोचिंग सेंटर, मध्यवर्ती अस्पताल 'क' (3), मध्यवर्ती अस्पताल 'ख' (2), पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, तारघर, प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम (4) । |
| 4 | एफ सी-30 | 5.20  | मध्यवर्ती अस्पताल 'क', मध्यवर्ती अस्पताल 'ख' (2), नर्सिंग होम (2) ।  |
| 5 | एफ सी-31 | 4.80  | मध्यवर्ती अस्पताल (क), मध्यवर्ती अस्पताल (ख), अग्निशमन केन्द्र ।   |
| 6 | एफ सी-32 | 18.70 | मध्यवर्ती अस्पताल (2), मध्यवर्ती अस्पताल (ख), पुलिस स्टेशन, प्रधान डाकघर ।   |
| 7 | एफ-सी 33 | 12.00 | सामाजिक-सांस्कृतिक, मध्यवर्ती अस्पताल 'क' (2), मध्यवर्ती अस्पताल 'ख', प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | (3), अग्निशमन केन्द्र,<br>दूरभाष केन्द्र । |
|--|--|--|

## 2.6 परिवहन

### 2.6.1 रोड नेटवर्क

इस जोन में सड़कों की श्रृंखलाबद्ध प्रणाली निम्नानुसार है:-

- 91.4 मीटर मार्गाधिकार  
राष्ट्रीय राजमार्ग नं.-2  
राष्ट्रीय राजमार्ग नं.-8
- 60 से 64 मीटर मार्गाधिकार  
रिंग रोड, अरबिन्दो मार्ग, महरौली रोड,  
महरौली बदरपुर रोड
- 45 मीटर मार्गाधिकार  
आउटर रिंग रोड, मथुरा रोड, अब्दुल गमेल नासिर मार्ग, पंचशील मार्ग, चिराग  
दिल्ली रोड, जोसेफ टीटो मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लाला लाजपत राय  
पथ, अफ्रीका एवेन्यु, नेल्सन मंडेला मार्ग, राव तुला राम मार्ग/आदि
- 30-38 मीटर मार्गाधिकार  
विवेकानन्द मार्ग, खेल गाँव, आई.आई.टी. के सामने और जे.एन.यू. के सामने  
रोड नं.-11 एवं 12, गोविन्द पुरी कालकाजी और अम्बेडकर नगर के निकट  
रोड नं.-13 एवं 14, ईस्ट ऑफ कैलाश के निकट रोड नं.-4 ।

विद्यमान और प्रस्तावित ग्रेड सेप्रेटर्स भूमि उपयोग प्लान में निर्दिष्ट किये गये हैं ।

सभी रोड स्वामित्व एजेंसियाँ दिल्ली मुख्य योजना-2021 में दर्शायी गई 30 मीटर और उससे अधिक मार्गाधिकार वाली सड़कों की सड़क विकास योजना तैयार करेंगी जिसमें एक यातायात साधन से दूसरे यातायात साधन को बाधा रहित तरीके से बदलने के लिए उसकी दिशा में आने वाले बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन और पैदल यात्री सम्पर्क मार्गों को दर्शाते हुए जंकशन/चौराहों के पारस्परिक विवरण भी शामिल हों ।

14-ए

वसंत विहार  
आर.के.पुरम  
रिंग रोड  
कैलाश कालोनी  
फ्रेंड्स कालोनी  
कालकाजी  
ओखला  
मदनपुर खादर  
मदनगीर  
बाहरी रिंग रोड  
साकेत  
जे.एन.यू.  
राष्ट्रीय राजमार्ग-8

एम.आर.टी.  
एल.आर.टी.  
बी.आर.टी.  
एम.आर.टी. एल.आर.टी.  
बी.आर.टी.

क्षेत्रीय विकास योजना

(जोन 'एफ')

एन

अवस्थिति नक्शा

### 2.6.2 शहरी राहत सड़कें :

दिल्ली मुख्य योजना 2021 ने पूरी दिल्ली में कई शहरी राहत सड़कें प्रस्तावित की हैं । इस जोन में निम्नलिखित शहरी राहत सड़कें निर्धारित की गई हैं :-

- i) नेहरू प्लेस और होटल पार्क रायल के बीच की सड़क को ईस्ट ऑफ कैलाश की ओर और लोटस टैम्पल तक बढ़ाना, यदि व्यवहार्य हो तो ।
- ii) बदरपुर बार्डर प्रवेश बिन्दु ।
- iii) सरिता विहार (मथुरा रोड और रोड सं. 13-ए का जक्शन) से ओखला औद्योगिक क्षेत्रों तक (फेज-I और फेज-II) के बीच की सड़क आर.ओ.बी. अथवा आर.यू.बी. द्वारा जोड़ा जाएगा) ।

संबंधित एजेंसियों द्वारा समय-समय पर छूटे हुए लिंको के अतिरिक्त भागों को निर्धारित किया जा सकता है । विस्तृत अध्ययन करने के बाद उनकी परियोजना को कार्यान्वित किया जा सकता है ।

### 2.6.3 बहु आयामी परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) :

दि.मु.यो.-2021 में नगर के समग्र ढांचे के अन्दर एक एकीकृत मल्टी मोड परिवहन प्रणाली को ध्यान में रखा गया है । यह भी ध्यान में रखा गया है कि भविष्य के परिवहन में रेल और सड़क आधारित प्रणालियों का मिश्रण होगा, जिसमें मेट्रो रेल, रिंग रेल, दैनिक यात्रियों के लिए समर्पित कॉरिडोर शामिल होंगे । जैसे-जैसे तकनीक उपलब्ध होती है बस रेपिड ट्रान्जिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) अन्य मास ट्रान्जिट मोड और समय-समय पर आवश्यकता अनुसार चुनिन्दा कॉरिडोर में इन्टर्मिडियेट पैसेन्जर ट्रान्सपोर्ट (आई.पी.टी.) और निजी मोड निर्धारित किए जाएंगे । सभी सड़कें जहां तक हो सके पैदल-पथ, विकलांग और साइकल द्वारा उपयोग किए जाने योग्य हों । नगर के बहु आयामी परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) का सबसे महत्वपूर्ण घटक मेट्रो रेल प्रणाली है । पूरे नगर के लिए जिसमें भूमिगत किया गया है, मेट्रो रेल तंत्र विभिन्न चरणों में निर्धारित किया गया है, जिसमें भूमिगत, एलीवेटेड और सरफेस कॉरिडोर शामिल हैं । इस जोन से गुजरने वाले दो कॉरिडोर हैं : जोकि :

- i) केन्द्रीय सचिवालय कुतुबमीनार
- ii) केन्द्रीय सचिवालय बदरपुर

एम.आर.टी.एस. का और विस्तार, यदि कोई हो, जब कभी भी अपेक्षित हो आरम्भ किया जा सकता है । इस एम.आर.टी.एस. तंत्र द्वारा नगर के काफी बड़े क्षेत्र के लिए प्रस्तावित स्टेशनों से थोड़ी दूरी तक का फासला हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, एल.आर.टी., बी.आर.टी. और एच.सी.बी.एस. कॉरिडोर का भी प्रस्ताव है । ताकि आम जनता को और सुविधा उपलब्ध हो जाए । एल.आर.टी.मार्ग विस्तार महारौली-महिपालपुर सड़क से होकर बदरपुर से वसंत कुंज तक है । बी.आर.टी. कॉरिडोर रिंग रोड से होकर और साथ ही साथ मूलचन्द-चिराग दिल्ली रोड से होकर गुजरता है । एच.सी.बी.एस. रूट महारौली-बदरपुर रोड के 'टी' जंक्शन से

आरंभ होकर वाया लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से डा.अम्बेडकर रोड, जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग से होकर दिल्ली गेट जाता है ।

#### 2.6.4 परिवहन और भूमि उपयोग के बीच सहक्रिया (प्रभाव ज़ोन) :

एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर का प्रथम चरण जो आंशिक रूप से भूमिगत है और आंशिक रूप से तल के ऊपर से होकर गुजरता है, केन्द्रीय सचिवालय से कुतुब मीनार तक निर्माणाधीन है । परिवर्तित दृश्य नगर की पुनः संरचना के लिए और एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर के साथ लगी भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के लिए अवसर प्रदान करता है ।

प्रस्ताव है कि स्थानीय क्षेत्र योजना बनाते समय, स्थानीय निकाय के परामर्श से एम.आर.टी.एस. की केन्द्रीय लाइन/मुख्य परिवहन कॉरिडोर के दोनों ओर अधिकतम 500 मीटर तक चोड़ी पट्टी निर्धारित की जानी होगी जो "प्रभाव ज़ोन" के रूप में निर्दिष्ट होगी । इस प्रभाव ज़ोन के विकास का कार्य भूमि की व्यवहार्यता/उपलब्धता के अनुसार आरंभ किया जाना चाहिए और विकास नियंत्रण मानक का लागू होना-उपयोग ज़ोन के अनुसार तथा संबंधित स्थानीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार होगा । यह मुख्य योजना के अनुरूप होंगे और व्यापक योजना के भाग के रूप में होंगे । व्यापक योजना के बिना व्यक्तिगत प्लॉटों पर पीस मील की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

#### 2.6.5 बस डिपो :

दि.मु.यो.-2021 में निर्दिष्ट किया गया है कि 5 लाख की आबादी के लिए एक बस डिपो होनी चाहिए । तदनुसार, 1,9,75,000 व्यक्तियों की जनसंख्या के लिए बस डिपो की अपेक्षित संख्या चार है । इस समय, डी.टी.सी. के अन्तर्गत सात कार्य कर रही हैं । आर.के.पुरम और वसंत विहार में दो डिपो वास्तविक स्थितियों के कारण कार्य नहीं कर रही हैं ।

#### 2.6.6 साइकल मार्ग (ट्रैक) :

केवल उन मैट्रो स्टेशनों जहाँ पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध है, तक की फीडर सड़कों पर अलग-अलग साइकल ट्रैक प्रस्तावित किए जाएंगे । इनके लिए मुख्य सड़कों पर अनुमति नहीं दी जाएगी ।

विद्यमान साइकल ट्रैक निम्नलिखित सड़कों पर हैं :

- (क) इनमें से एक साइकल ट्रैक चिराग दिल्ली, डिफेंस कॉलोनी को जोड़ता है जो नाले के साथ होकर जाता है, और मथुरा रोड के साथ से होकर इंद्रप्रस्थ एस्टेट कार्यालय परिसर जाता है ।
- (ख) एक अन्य साइकल ट्रैक जो यमुना पार क्षेत्र से आता है, आई.टी.ओ.पुल के साथ-साथ, कनॉट प्लेस को जोड़ता है और पंचकुइयाँ सड़क तक जाता है ।
- (ग) एक और साइकल ट्रैक कुशक नाले से होकर तालकटोरा स्टेडियम और मथुरा रोड को जोड़ेगा ।

### 2.6.7 रेलवे स्टेशन :

इस समय इस ज़ोन में दो रेलवे स्टेशन/रेलवे यार्ड हैं । यह हैं ओखला और तुगलकाबाद ।

### 2.6.8 पार्किंग :

व्यक्तिगत मोटर वाहनों की असाधारण वृद्धि के फलस्वरूप, पार्किंग के स्थान की बहुत अधिक कमी के रूप में एक मुख्य समस्या प्रकट हो गई है ।

पार्किंग जनता के लिए चिंता का एक गंभीर विषय बन गया है तथा इसके लिए एक ध्यानपूर्वक विचार की गई नीति की आवश्यकता है और विद्यमान क्षेत्रों में अधिकतम व्यवहार्य स्तर तक इस समस्या को कम करने के लिए और भविष्य के विकास के संदर्भ में पर्याप्त प्रावधानों की व्यवस्था के लिए । इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित मानदण्ड प्रस्तावित हैं :

#### (क) पार्क एण्ड राइड :

पार्क एण्ड राइड लाट एम.आर.टी.एस.स्टेशनों पर उपलब्ध हैं । सड़क और मेट्रो रेल/रेल परिवहन प्रणाली को जोड़ने के संदर्भ में पार्क एण्ड राइड सुविधाओं के अलावा, ऐसी सुविधाएं मुख्य सड़कों पर पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी जो निर्धारित कार्य एवं गतिविधि केन्द्रों के संदर्भ में होंगी और जो सीधे एम.आर.टी.एस. से जुड़ी न हो और जिनसे जन परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा ।

#### (ख) पब्लिक पार्किंग :

जहाँ मिश्रित उपयोग के कारण काफी व्यावसायिक गतिविधियों का विकास हुआ है, ऐसे निर्धारित व्यावसायिक/कार्य केन्द्रों और अन्य क्षेत्रों और कॉरिडोर में जन सुविधाओं के रूप में मुख्य प्रयास किए जाने चाहिए । बाद के मामले के संबंध में उसे निर्धारित क्षेत्रों के अंदर पेडिसट्रनाइजेशन से जोड़े जाने की आवश्यकता भी होगी ।

#### (ग) डी.टी.सी. डिपोओं में पार्किंग सुविधा :

डी.टी.सी. टर्मिनल और डिपो का डी.टी.सी. बसों, निजी बसों और चारटर्ड बसों के साथ-साथ पब्लिक पार्किंग के उपयोग में लाने के लिए खोज की जानी चाहिए और विशेष परियोजनाओं का विकास किया जाना चाहिए ।

#### (घ) भूमिगत पार्किंग :

स्थल व्यवहार्यता पर आधारित, पार्किंग सुविधाएं खुले स्थानों के नीचे ऊपर के हरित क्षेत्रों और चारों ओर के पर्यावरण से छेड़-छाड़ किए बिना उपलब्ध कराई जा सकती हैं । ऐसे निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले संबंधित एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है ।

#### (ङ) आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग :

अधिकतर पार्किंग सड़क पर ही की जाती है, जिससे वाहनों के आवागमन के रास्ते की चौड़ाई काफी हद तक कम पड़ जाती है । आवासीय क्षेत्रों में स्कूलों द्वारा उत्पन्न यातायात की भीड़-भाड़ बढ़ने से यह समस्या और अधिक गंभीर हुई है । इस



समस्या को कुछ हद तक कम करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाएंगे, जो निम्न प्रकार हैं :-

- i) आवासीय सड़कों पर किचन गार्डन/सड़क से लगते हुए निजी हरित भाग, बड़े ढाँचे/रैम्प आदि के रूप में किए गए सभी अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए ।
- ii) जहाँ पर भी संभव हो सके, सड़क अनुप्रस्थ कांटों (रोड क्रॉस सेक्शन) का आवासीय सड़कों के साथ नियोजित कार पार्किंग को शामिल करने के लिए पुनः डिजाइन करना होगा तथा अधिक सतही आवागमन स्थान भी बनाना होगा ।
- iii) अन्य विकल्प, चुने हुए क्षेत्रों में, जैसे कि पार्कों और खुले स्थानों के नीचे भूमिगत पार्किंग बनाने पर भी विचार करना होगा ।
- iv) ऑब्जेक्टिव मानदंड जैसे खरीदी गई कारों की संख्या आदि के आधार पर निवासियों से सहयोग माँगकर इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों की मदद ली जाएगी ।
- v) स्कूलों द्वारा ट्रैफिक बढ़ाने के कारण उत्पन्न भीड़भाड़ की समस्या को विशेष रूप से हल करना होगा और अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी स्कूलों द्वारा स्वयं उठानी होगी । इस उद्देश्य के लिए नीति विषयक मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

**च) मल्टीलेवल पार्किंग :**

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार यातायात को देखते हुए शहर के विभिन्न भाग में मल्टीलेवल पार्किंग का प्रस्ताव किया गया है । यह सुविधा वरीयता के तौर पर निर्धारित पार्किंग और प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्रों में विकसित की जानी चाहिए । इस जोन में मल्टीलेवल पार्किंग अन्य स्थानों के अतिरिक्त, जहाँ कहीं संभव हो, सामुदायिक केन्द्र, जिला केन्द्रों में विकसित किये जाने प्रस्तावित हैं ।

**छ) खाली ट्रक पार्किंग :**

खाली ट्रक पार्किंग मदनपुर खादर स्थित एकीकृत भाड़ा परिसर के लिए निर्धारित भूमि में प्रस्तावित है ।

**2.7 पर्यावरण/पर्यावरण महत्व के क्षेत्र :**

दक्षिण सेंट्रल रिज (महरौली) 626 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है । यह शहरी विरासत क्षेत्र है जिसमें ऐतिहासिक दिल्ली शहर के स्मारक और अवशेष विद्यमान हैं । इसके अलावा, इस जोन में तुगलकाबाद नामक एक अन्य महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र है । अन्य मुख्य हरित क्षेत्रों अर्थात् महत्वपूर्ण स्मारकों के आस-पास, योजनाबद्ध हरित क्षेत्र और अन्य प्राकृतिक हरित क्षेत्रों का संरक्षण किये जाने की आवश्यकता है । उच्च

शहरी विरासत और अधिक पर्यटक महत्व वाले स्थानों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए । रिज क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण की तत्काल आवश्यकता है ।

वन अधिनियम के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों की आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिन्हें इसी रूप में बनाए रखा जाएगा और इस क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी किसी प्रकार के निर्माण-कार्य की अनुमति नहीं होगी ।

#### 2.7.1 मनोरंजनात्मक क्षेत्र :

जोन 'एफ' में किसी भी अन्य जोन से काफी अधिक हरित क्षेत्र है और इसे हरित जोन भी कहा जा सकता है । मुख्य हरित स्थानों में आवासीय क्षेत्र में समीपवर्ती खुले स्थल, पार्क और खेल के मैदान शामिल हैं । ये स्थल हरित क्षेत्रों की अनवरत प्रणाली के विकास के लिए सम्पर्क प्रदान करेंगी । इसका उल्लेख क्षेत्रीय योजना में किया गया है, जिसका विवरण विस्तृत योजनाएँ तैयार करने के चरण में दिया जाना चाहिए ।

यह भी प्रस्ताव है कि रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों/गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग को आमंत्रित करके सड़कों के साथ-साथ और सांस्थानिक, औद्योगिक/व्यावसायिक क्षेत्रों आदि के साथ सटे उपयोग न किये हरित स्थलों का विकास किया जाय । उपर्युक्त के अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. द्वारा वसंत विहार में एक जैव वैविध्य पार्क का विकास किया जा रहा है ।

### 2.7.2 बहुउद्देश्य मैदान :

बहुउद्देश्य मैदानों का एक जाल, जो मूल रूप से पार्कों और खुले स्थान हैं, को दि.मु.यो.-2021 में श्रेणीबद्ध किया गया है, इसके तीन स्तर हैं—नगर बहुउद्देश्य मैदान, जिला बहुउद्देश्य मैदान और समुदाय बहुउद्देश्य मैदान । यह बहुउद्देश्य मैदान समुदाय स्तर पर 2 हैक्टेयर तक होंगे, जिला स्तर पर 4 हैक्टेयर और नगर (जोन) स्तर पर 8 हैक्टेयर तक होंगे । विवाह आयोजित करने के लिए 60'0' चौड़ी सड़क वाले पार्कों को स्थानीय निकाय/दि.न.नि. द्वारा पहले से अनुमोदन प्राप्त है और इन्हें बहुउद्देश्य मैदान निर्धारित किया गया है । इन निम्नलिखित हरित क्षेत्रों को बहुउद्देश्य मैदानों के रूप में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है :

1. महिपाल पुर
2. लाडो सराय
3. सफदरजंग अस्पताल के पीछे
4. जसोला
5. वह पार्क जिन्हें स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा./सरकार द्वारा विवाह आयोजित करने के लिए पहले से ही अनुमोदित किया जा चुका है, को मुख्य योजना मैदान के रूप में निर्धारित किया गया है ।

### 2.7.3 नाले :

सात नाले इस जोन से होकर गुजरते हैं :

1. बड़ापुल्ला नाला
2. महारानी बाग नाला
3. कालकाजी नाला
4. ओखला नाला
5. तुगलका बाद नाल
6. सराय विहार नाला
7. तहखण्ड नाला

नालों को हरित गलियारों के रूप में विकसित किया जाएगा और नालों के किसी भी भाग को ढकने के कार्य को करने से पहले पर्यावरणीय अध्ययन किया जाएगा ।

आई.डी.एफ.सी. का प्रस्ताव है कि सतपुड़ा झील, सीरीफोर्ट से होकर हुमायूं के मकबरे तक किला राय पिथौड़ा के निकट एक हरित गलियारे के लिए बड़े खुले स्थान को रेखाकार तरीके से "साउथ दिल्ली ग्रीन वेज" पर बारापुला नाले से जोड़ा जाए ।

### 2.7.4 जलाशय :

जलाशय जिनका न्यूनतम सतही क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर का है, को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा परिरक्षित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र स्तर पर

छोटे जलाशयों को भी बनाए रखे जाने के प्रयास किए जाएंगे । ऐसे जलाशय जिनका क्षेत्रफल एक हैक्टैयर से अधिक का है, की सूची अनुबंध 'डी' में संलग्न है ।

## 2.8 शहरी डिजाइन :

### 2.8.1 जिला केन्द्र :

किसी भी जिला केन्द्र में वातावरण को मनोहर बनाने के सभी घटक होने चाहिए, जिस तक मुख्य यातायात बिन्दुओं से और चारों-ओर के आवासीय क्षेत्रों से पैदल पहुंच या सबवे आदि द्वारा पहुंचना आसान होना चाहिए । जन स्थानों को बनाने के लिए नियोजित जिला केन्द्रों का अच्छा उपयोग किया जा सकता है ।

### 2.8.2 अन्य क्षेत्र :

शहरी डिजाइन के महत्व के अन्य क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं :

- i) ऐतिहासिक स्मारक और उद्यान, कुतुब मीनार परिसर, विजय मण्डल, किला राय पिथोड़ा, तुगलकाबाद किला, खिड़की गाँव आदि तथा महरौली क्षेत्र, हौज़खास, जहाँपनाह, आस्था कुंज आदि जैसे उद्यान ।
- ii) प्रवेश मार्गों और दिल्ली के अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के साथ लगे क्षेत्र—बदरपुर बार्डर एन.एच.—2, एन.एच.—8 ।
- iii) सड़क एवं रेल, एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर, प्रवेश और टर्मिनल—तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन, केन्द्रीय सचिवालय—कुतुब मीनार, केन्द्रीय सचिवालय—बदरपुर ।

## 2.9 निर्मित विरासत का संरक्षण :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार दिल्ली में अनेक स्मारक हैं जिन्हें संरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया है । यह निर्दिष्ट है कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत विरासत के क्षेत्रों की सीमा और घोषित संरक्षित स्मारक संरक्षण के लिए आरक्षित किए जाएं और जिनके लिए संबंधित संगठन/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संरक्षण योजनाएं तैयार की जाएं ।

### 2.9.1 विरासत जोन :-

यह क्षेत्र विरासत जोन के रूप में निर्धारित हैं ।

1. महरौली क्षेत्र में विशिष्ट विरासत परिसर ।
2. विजय मण्डल—बेगम पुर—सराय, शाहजी—लाल गुम्बद में विशिष्ट विरासत परिसर ।
3. चिराग दिल्ली में विशिष्ट विरासत परिसर ।

### 2.9.2 पुरातत्व पार्क :

निम्नलिखित क्षेत्रों को पुरातत्व पार्क के रूप में निर्धारित किया गया है :-

1. महरौली पुरातत्व पार्क

## 2. तुगलकाबाद पुरातत्व पार्क

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, ए.एस.आई. और जी.एन.सी.टी.डी. की सूची ज़ोन 'एफ' में 'ई' के रूप में अनुबंधित है ।

### 3.0 भौतिक आधारिक संरचना :

इस ज़ोन के लिए जल, सीवरेज, पॉवर और कूड़े के निपटान की आवश्यकता का हिसाब संबंधित विभाग और दि.पि.प्रा. के इंजीनियरिंग विभाग के परामर्श से निकाला जाएगा ।

#### 3.1 जल आपूर्ति :

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार सन् 2021 तक इन जल शोधन संयंत्रों की क्षमता को 919 एम.जी.डी. तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । जल आपूर्ति में वृद्धि विशेष रूप से पानी की भारी कमी को दूर करने और जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखकर करनी होगी । इस ज़ोन में ओखला में एक जल शोधन संयंत्र है और दिल्ली जल बोर्ड ने सन् 2011 तक पानी की कमी को पूरा करने के लिए ओखला में 20 एम.जी.डी. का जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है ।

#### 3.2 सीवरेज/ड्रेनेज/कूड़ा करकट :

इस ज़ोन में लगभग पूरी तरह से भूमिगत सीवरेज की व्यवस्था है । तथापि, शहरी नवीरकण के लिए निर्धारित किये गये पुराने क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है । इस ज़ोन में कई बड़े बरसाती नाले हैं । जो बरसाती पानी को नदी में बहाकर ले जाते हैं ।

इस ज़ोन में माँ आनन्दमयी मार्ग (ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1) पर एक बहुत बड़ा कूड़ा निपटान स्थल है । तथापि, कूड़े करकट के निपटान के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं विधियाँ अपनाये जाने की आवश्यकता है, जो पर्यावरणीय रूप से अधिक सुरक्षित हों ।

#### 3.3 पॉवर :

इस ज़ोन में विद्यमान पॉवर जेनरेशन स्टेशन बदरपुर थर्मल पॉवर स्टेशन है । मुख्य योजना के अनुसार इस ज़ोन में 220 किलोवाट के 4 विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने की आवश्यकता है । सुझाव दिया जाता है कि शहरी डिजाइन पहलुओं के कारण इस ज़ोन में ओवर हैड केबल्स की कोई व्यवस्था न की जाए । पॉवर की खपत में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग द्वारा पॉवर सप्लाई की आवश्यकताओं की योजना बनाई जाए ।

#### 4.0 भूमि उपयोग योजना :

क्षेत्रीय योजना के अनुसार भूमि उपयोग विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

भूमि उपयोग विश्लेषण-क्षेत्रीय योजना

| क्रम सं. | भूमि उपयोग  | क्षेत्रफल हेक्टेयरों में | प्रतिशतता (%) |
|----------|---|--------------------------|---------------|
| 1        | आवासीय  | 4236.5                   | 35.43         |
| 2        | व्यावसायिक  | 229                      | 1.91          |
| 3        | मनोरंजनात्मक                                      | 3173                     | 26.53         |
| 4        | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक                      | 1375.5                   | 11.50         |
| 5        | परिवहन  | 1289                     | 10.78         |
| 6        | औद्योगिक  | 512                      | 04.29         |
| 7        | i) सरकारी कार्यालय<br>ii) अनिर्धारित सरकारी उपयोग | 61<br>813                | 0.51<br>06.80 |
| 8        | उपयोगिता  | 269.00                   | 02.25         |
|          | कुल   | 11958.00 हेक्टेयर        | 100           |

4.1 जिन भूमि उपयोगों का परिवर्तन अधिसूचित किया गया है, वे निम्न प्रकार हैं :

| क्रम सं. | क्षेत्र (हेक्टेयर) / अवस्थिति                                   | से                        | तक   | अधिसूचना सं.  |
|----------|---|---------------------------|--|---|
| 1        | 12.40 (एम.बी.रोड और माँ आनन्द माई मार्ग के 'टी' जंक्शन के समीप) | मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) | आवासीय   | के-13011 / 30 / 95-<br>डी.डी. II<br>दिनांक 8.1.2002       |
| 2        | 11.20 (पुष्प विहार सेक्टर-6)                                    | आवासीय                    | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक                                       | के-13011 / 10 / 2003-<br>डी.डी.आई.बी.<br>दिनांक 19.2.2004 |
| 3        | 0.96 (गाँव तहखण्ड के समीप ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 का भाग)   | औद्योगिक / विनिर्माण      | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल और बारात घर) | के-13011 / 4 / 98-<br>डी.डी.आई.बी.<br>दिनांक 21.9.2004    |

|   |  |                                |            |   |
|---|--|--------------------------------|------------|---|
| 4 | 1.60<br>(पुष्प विहार)  | 'सरकारी' (जिला न्यायालय)       | आवासीय     | के-13011/5/2003-<br>डी.डी.आई.बी.<br>दिनांक 1.3.2005   |
| 5 | 6.95<br>(महिपाल पुर)   | सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित) | व्यावसायिक | के-13011/5/2004-<br>डी.डी.आई.बी.<br>दिनांक 26.5.2005  |
| 6 | 3.60<br>(एम.बी.रोड और माँ आनन्द माई मार्ग के 'टी' जंकशन के समीप) | मनोरंजनात्क (जिला पार्क)       | आवासीय     | के-13011/30/1995-<br>डी.डी.आई.बी.<br>दिनांक 23.2.2006 |

4.2 निम्नलिखित भूमि उपयोगों के परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं और इन्हें सार्वजनिक सूचना के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है/भेजा जा रहा है :-

| क्रम सं. | क्षेत्र (हेक्टेयर)/अवस्थिति                     | से                        | तक  | स्थिति  |
|----------|---|---------------------------|---|---|
| 1        | 3.16<br>वुमेन्स पॉलीटेक्नीक महारानी बाग के निकट | मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) | आवासीय  | सार्वजनिक सूचना हेतु (एम.ओ.यू.डी.) शहरी विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्रतीक्षित है । |
| 2        | 0.39<br>राजीव गाँधी खेल परिसर, बदरपुर के समीप   | मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (कब्रिस्तान)               | सार्वजनिक सूचना हेतु शहरी विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्रतीक्षित है ।               |
| 3        | 6.60 लॉडो सराय                                  | मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) | i)आवासीय-1.72<br>ii) पी.एस.पी.-4.29<br>iii) व्यावसायिक- | सार्वजनिक सूचना हेतु शहरी विकास मंत्रालय का                                       |

|   |   |                               |                           |   |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|---|
|   |   |                               | 0.59                      | अनुमोदन प्रतीक्षित है ।   |
| 4 | 0.20<br>मुनीरका एन्क्लेव<br>नेल्सन मंडेला रोड<br>के सामने | मनोरंजनात्मक<br>(ज़िला पार्क) | पी.एस.पी.<br>(कब्रिस्तान) | सार्वजनिक सूचना हेतु शहरी विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्रतीक्षित है । |
| 5 | 2.12<br>सैक्टर-2, आर.के.<br>पुरम                          | मनोरंजनात्मक<br>(ज़िला पार्क) | आवासीय                    | सार्वजनिक सूचना हेतु शहरी विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्रतीक्षित है । |

11.93 हैक्टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" (ज़िला पार्क) से "आवासीय" (ट्रांज़िट कैम्प, कालकाजी पॉकेट ए एवं बी)) में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.10.2000 को आयोजित अपनी बैठक में कार्यावली मद सं. 78/2000 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । इसके बाद इसे दिनांक 29.3.2001 के पत्र द्वारा भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु अंतिम अधिसूचना के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया गया था । उच्च न्यायालय के दिनांक 22.9.94 के आदेश के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे आगे सूचना मिलने एक अंतिम अधिसूचना के लिए इस मामले पर कार्रवाई न करें । यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । दि.वि.प्रा. के वकील से प्राप्त सूचना के अनुसार यह नोट कर लिया गया है ।

"न्यायालय ने निदेश दिया है कि दि.वि.प्रा. को मूल नक्शे में ज़िला पार्क के लिए निर्धारित सही क्षेत्रफल और ज़िला पार्क में वास्तविक रूप से उपलब्ध/वर्तमान क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

न्यायालय ने यह निदेश भी दिया है कि उक्त उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए और प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि ज़िला पार्क के कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण किया हुआ है और कितना क्षेत्र दि.वि.प्रा. द्वारा वापस ले लिया गया है । सीमा निर्धारण रिपोर्ट में ज़िला पार्क की चार दीवारी स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए ।"

न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले की जाँच की जा रही है ।

4.3 विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट भूमि उपयोग परिवर्तन के अन्य मामले :



| क्रम सं. | क्षेत्र/अवस्थिति   | से  | तक  | स्थिति/टिप्पणी  |
|----------|--|---|---|---|
| 1        | 6.5<br>सैक्टर-12 के<br>निकट आर.के.<br>पुरम                               | सार्वजनिक<br>और अर्ध<br>सार्वजनिक<br>(फैसिलिटी<br>सेंटर-27) | आवासीय  | i) विद्यमान आवासीय<br>कॉलोनी एल.एंड डी.ओ.<br>/सी.पी.डब्ल्यू.डी.-1.36<br>हैक्टे.<br>ii) राज्य सभा सदस्यों<br>हेतु गेस्ट हाउस<br>- 'अतिथि' के लिए<br>प्रस्ताव-0.870<br>iii) अतिक्रमण स्लम<br>वासी/झुग्गी-1.86<br>iv) आंशिक रूप से<br>डी.पी.एस. स्कूल के<br>अधीन एल. एंड डी.<br>ओ. का एल.ओ.पी. का<br>भाग-1.74<br>v) एच.एस.स्कूल)-0.67<br>दिल्ली प्रशासन) एल.<br>ओ.पी. का भाग |
|          | 5.88<br>सैक्टर 12 आर.<br>के.पुरम के निकट                                 | परिवहन<br>(बस डिपो)   | i) आवासीय<br>ii) सार्वजनिक<br>एवं अर्ध<br>सार्वजनिक<br>सुविधा<br>(पुलिस स्टेशन) | i) विद्यमान आवासीय<br>कालोनी-2.04<br>ii) सरकारी एच.सैके.<br>स्कूल-1.55) 2.30<br>भूमि का भाग डी.पी.<br>एस.स्कूल के अधीन-0.<br>75<br>iii) ई.एस.एस. 0.03<br>कुल 4.37<br>iv) पुलिस स्टेशन-1.<br>51  |
| 2        | 0.21<br>निविदिता कुंज,<br>आर.के.पुरम की<br>दक्षिणी सीमा से<br>लगता हुआ । | विनिर्माण सेवा<br>केन्द्र-12                                | सार्वजनिक एवं<br>अर्ध सार्वजनिक<br>सुविधा (समाज<br>सदन)                         | शहरी विकास मंत्रालय<br>द्वारा मामला भेजा गया<br>है ।  |
| 3        | 4.19   | आवासीय  | सार्वजनिक एवं   | यह भूमि नेशनल   |

|   |  |                            |  |   |
|---|--|----------------------------|--|---|
|   | (मोलार बंद में नेशनल आयुर्वेदिक अस्पताल)                     |                            | अर्ध सार्वजनिक सुविधा (अस्पताल)                              | आयुर्वेदिक अस्पताल को आबंटित की गई है ।   |
| 4 | 8.1 (18 मीटर चौड़ी सड़क के अंतर्गत क्षेत्र को छोड़कर) एम्स । | आवासीय                     | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधा (अस्पताल)                | ए.आई.आई.एम.एस. को उनके विद्यमान संस्थान से लगती हुई भूमि आबंटित की गई है ।  |
| 5 | 0.20 (हरकेश नगर)   | मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)  | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधा (समाज सदन)               | यह क्षेत्र जाँच समिति बैठक द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।   |
| 6 | 10.93 (सीरीफोर्ट परिसर के समीप)                              | मनोरंजनात्मक (ज़िला पार्क) | सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (बैडमिंटन एवं स्क्वैश स्टेडियम) | राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के लिए सीरीफोर्ट खेल परिसर के समीप बैडमिन्टन एवं स्क्वैश स्टेडियम की परियोजना के संबंध में मुख्य वास्तुकार दि.वि. प्रा. से मामला प्राप्त हुआ है । |

टिप्पणी-प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार मद सं.-90/2007 दिनांक 30.10.2007 के अनुसार ग्रीन पार्क मार्केट को स्थानीय खरीदारी केन्द्र निर्दिष्ट किया गया ।

\*अतिक्रमण को नीति के अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा हटाया जाएगा ।

जोन-एफ में शहरी गाँवों की सूची (दक्षिण दिल्ली-1)

क्रम सं.

- 1 अधचिनी
- 2 अरकपुर बाग
- 3 बदर पुर
- 4 बेगम पुर
- 5 बेर सराय
- 6 चिराग दिल्ली
- 7 गढ़ी झरिया मारिया
- 8 हौज़खास
- 9 हौज़ रानी
- 10 हुमायूँ पुर
- 11 जसोला
- 12 जिया सराय
- 13 जोगा बाई
- 14 कालू सराय
- 15 कटवारिया सराय
- 16 खिड़की
- 17 खिज़ारबाग
- 18 लद्धा सराय
- 19 लाडो सराय
- 20 मदनगीर
- 21 मदनपुर खादर
- 22 मसीह गढ़
- 23 मस्जिद मोठ
- 24 महरौली
- 25 मोची (नजूल) किशनगढ़
- 26 मौहम्मदपुर
- 27 मुनीरका
- 28 ओखला
- 29 सराय जुलियाना
- 30 शाहपुर जट
- 31 शेख सराय
- 32 तैमूर नगर
- 33 तहखण्ड

- 34 तुगलकाबाद  
35 युसुफ सराय  
36 जमरूदपुर

स्रोत : जी.एन.सी.टी.डी.

रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई 1432 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची के अनुसार जोन- 'एफ' में अनधिकृत कॉलोनियों की सूची ।

| क्रम सं. | कॉलोनी का नाम  | रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार क्रम सं. | रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार दिया गया पंजीकरण सं. |  |
|----------|--|---|---|--|
| (1)      | (2)  | (3)   | (4)   |  |
| 1        | अली एक्सटेंशन (ब्लॉक ए और बी) नई दिल्ली-110041                     | 69  | 571   |  |
| 2        | अब्दुल फैज़ल एन्क्लेव पार्ट- II, शाहीन बाग                         | 674   | 1069  | )-आंशिक )रूप से )ज़ोन 'ओ' )में पड़ता )है । ) ) ) |
| 3        | अब्दुल फैज़ल एन्क्लेव पार्ट- II, ब्लॉक जी. एवं एच.                 | 812   | 1182  |  |
| 4        | अब्दुल फैज़ल एन्क्लेव जामिया नगर पी.ओ.सरिता विहार नई दिल्ली-110025 | 300   | 526   |  |
| 5        | अली विहार (ब्लॉक ए, बी, सी, डी, ई, एफ एवं एच)                      | 744   | 1128  |  |
| 6        | बदरपुर एक्सटेंशन ब्लॉक सी. एवं डी. नई दिल्ली-110044                | 267   | 588   |  |
| 7        | बदरपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली   | 975   | 946   |  |
| 8        | बदरपुर एक्सटेंशन पॉकेट-ए.बी. नई दिल्ली-110044                      | 679   | 1083  |  |
| 9        | बाटला हाउस, ओखला   | 898   | 1430  |  |
| 10       | बुद्ध विहार (ताजपुर पहाड़ी), बदरपुर, नई दिल्ली-110044              | 261   | 462   |  |

|    |  |      |      |  |
|----|--|------|------|--|
| 11 | डी-ब्लॉक, बदरपुर<br>एक्सटेंशन                                      | 274  | 585  |  |
| 12 | ई-ब्लॉक, हरी नगर<br>पार्ट- II, बदरपुर                              | 1084 | 841  | )<br>)-आंशिक<br>)रूप से<br>)जोन 'ओ'<br>)में पड़ता<br>)है । |
| 13 | गढ़वाल कालोनी, महरौली  | 1333 | 994  |  |
| 14 | गढ़वाल कालोनी वार्ड सं.<br>-2, महरौली, नई<br>दिल्ली-110030         | 429  | 378  |  |
| 15 | जी-ब्लॉक, मोहन बाबा<br>नगर, ताजपुर एक्सटेंशन<br>बदरपुर             | 1272 | 139  |  |
| 16 | एच-ब्लॉक, जाकिर नगर<br>ओखला नई<br>दिल्ली-110025                    | 1340 | 1014 | आंशिक<br>रूप से<br>जोन 'ओ'<br>में पड़ता<br>है ।            |
| 17 | जसोला गाँव<br>दिल्ली-110025  | 797  | 1381 |  |
| 18 | मोहन बाबा नगर<br>बदरपुर,<br>नई दिल्ली-110044                       | 1259 | 91   |  |
| 19 | मोहन बाबा नगर<br>ताजपुर एक्सटेंशन, बदरपुर,<br>नई दिल्ली-110044     | 196  | 682  |  |
| 20 | मोहन बाबा नगर<br>ताजपुर एक्सटेंशन, 'एफ'<br>ब्लॉक, नई दिल्ली-110044 | 134  | 719  |  |
| 21 | नूर नगर एक्सटेंशन<br>जामिया नगर, ओखला नई<br>दिल्ली                 | 1152 | 3    |  |
| 22 | ओखला विहार एवं<br>एक्सटेंशन, जामिया नगर,<br>ओखला, नई दिल्ली        | 1410 | 631  |  |
| 23 | ओखला विहार, जामिया   | 652  | 155  |  |

|    |   |      |      |                                     |
|----|---|------|------|-------------------------------------|
|    | नगर, नई दिल्ली-110025                                     |      |      |                                     |
| 24 | शक्ति एन्क्लेव कालिन्दी कॉलोनी निकट किलोकरी नई दिल्ली     | 1305 | 100  |                                     |
| 25 | ताजपुर पहाड़ी, बदरपुर, नई दिल्ली-110044                   | 129  | 524  |                                     |
| 26 | तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली                            | 1018 | 880  |                                     |
| 27 | जाकिर नगर, ब्लॉक-एच, दिल्ली-110025                        | 376  | 226  | आंशिक रूप से जोन 'ओ' में पड़ता है । |
| 28 | जाकिर नगर, ब्लॉक-एच, दिल्ली-110025                        | 331  | 597  |                                     |
| 29 | इस्लाम कॉलोनी वार्ड सं. -6, महरौली, नई दिल्ली-110030      | 381  | 456  |                                     |
| 30 | बाटला हाउस  | 898  | 1430 |                                     |
| 31 | सैंट जॉन्स चर्च कॉलोनी बस टर्मिनल के समीप महरौली          | 1204 | 10   |                                     |
| 32 | अरुणा असफ अली रोड़ गाँव किशन गढ़                          | 601  | 22   |                                     |
| 33 | डिफेंस एन्क्लेव महिपालपुर एक्स.पार्ट- II नई दिल्ली-110037 | 469  | 321  |                                     |
| 34 | हरिजन बस्ती मसूदपुर, पॉकेट-बी के समीप, सैक्टर-7, 8 और 9   | 1156 | 71   |                                     |
| 35 | खिड़की एक्स.मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017                  | 959  | 897  |                                     |
| 36 | लाडो सराय एक्स. महरौली, नई दिल्ली                         | 318  | 483  |                                     |
| 37 | महिपाल पुर, ब्लॉक-ए. एक्स.                                | 1422 | 1140 |                                     |

|    |   |     |      |  |
|----|---|-----|------|--|
|    | नई दिल्ली   |     |      |  |
| 38 | मौहल्ला जोहान पनाच,<br>हौजरानी, मालवीय नगर,<br>नई दिल्ली-110017 | 525 | 1347 |  |

सत्रोत : जी.एन.सी.टी.डी.

परिशिष्ट- 'ग'

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.09.2006 को अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों की सूची ।

जोन एफ :

- क. नई दिल्ली साउथ एक्स.पार्ट- ॥ (रिंग रोड के सामने का भाग)
- ख. कालकाजी मेन रोड (ब्लॉक जी एवं एच और ई एवं एफ के बीच)
- ग. मालवीय नगर (मेन मार्किट रोड)
- घ. गोविन्द पुरी और गोविन्द पुरी एक्सटेंशन के बीच की सड़क ।
- ङ. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदित ले-आउट नक्शे का भाग बनाती दुकानें-प्लॉट ।



व्यावसायिक सड़कों, मिश्रित उपयोग सड़कों, पैदल शापिंग मार्ग और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 14.9.2006 को जारी किए शुद्धि-पत्र के अनुसार व्यावसायिक सड़कों के रूप में अधिसूचित की गई मिश्रित उपयोग सड़कों की सूची ।

(साउथ जोन) में व्यावसायिक सड़कें

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम                                     | सड़क का भाग से-तक   | मार्गाधिकार (मीटर में) |
|----------|---|---|------------------------|
| 1        | कालका देवी मार्ग, कालकाजी                           | सपना लाल बत्ती तक कैप्टन गौड़मार्ग  | 24.00                  |
| 2        | मेन रोड गढ़ी  | कालका देवी मार्ग तक राजा धीर सेन मार्ग  | 9 से 15                |
| 3        | मेन रोड कालकाजी                                     | बाहरी रिंग रोड तक सी.जी.एच. एस.   | 18.00                  |
| 4        | आंतरिक रोड सत्य निकेतन                              | मकान सं.-93 से 141 (दोनों साइड)   | 9                      |
| 5        | बेनीतो जुआरेज मार्ग (दक्षिण कैम्पस रोड सत्य निकेतन) | मकान नं.-18 से मकान सं.-299 तक (एक साइड)  | 24                     |
| 6        | आंतरिक रोड सत्य निकेतन                              | मकान सं.-214 से मकान सं.-231 तक (दोनों साइड)  |                        |
| 7        | धीर सिंध मार्ग                                      | 234-ए से 18 सन्त नगर  | 18                     |
| 8        | 60' चौड़ी सड़क गौतम नगर                             | अरबिन्दो मार्ग (युसुफ सराय मार्किट) से स्व.वि. यो. फ्लैट गुलमोहर एन्क्लेव तक (दोनों साइड) | 18                     |
| 9        | धीर सिंह मार्ग                                      | 234 से 252 संत नगर  | 24                     |
| 10       | महर्षि दया नन्द मार्ग, मालवीय नगर                   | होस्टल रोड सावित्री नगर से डी.डी.ए. फ्लैट   | 24                     |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | शिवालिक रोड |  |
|--|-------------|--|

**(दक्षिण ज़ोन) में मिश्रित उपयोग सड़कें**

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम                    | सड़क का भाग से-तक                                | मार्गाधिकार (मीटर में) |
|----------|------------------------------------|--|------------------------|
| 1        | राजा धीर सेन मार्ग                 | कैप्टन गौड़ मार्ग से कल्लू मौहल्ले तक            | 24.00                  |
| 2        | ई.पी.डी.पी.रोड                     | ई.पी.डी.पी.रोड                                   | 24.00                  |
| 3        | ई.पी.डी.पी. से सड़क (सी. आर.पार्क) | सी.जी.एच.एस. तक ई.पी.डी.पी. सड़क                 | 13.50                  |
| 4        | चितरंजन पार्क/कालकाजी              | के 17 से रवी दास मार्ग तक                        | 18.00                  |
| 5        | चितरंजन पार्क/कालकाजी              | के-13 बी से रवी दास मार्ग तक                     | 18.00                  |
| 6        | कालकाजी में रोड़                   | के-17 से एफ-26 कालकाजी तक                        | 13.50                  |
| 7        | कालकाजी में रोड़                   | आर्य समाज मन्दिर से ए-476 डबल स्टोरी क्वार्टर तक | 13.50                  |
| 8        | कालकाजी में रोड़                   | एम-7 से रवी दास मार्ग तक                         | 13.50                  |
| 9        | कालकाजी में रोड़                   | ए-120 डी./एस. से ई.पी.डी.पी. रोड़ तक             | 13.50                  |
| 10       | रिंग रोड                           | ई-1 से ई-27 डिफेंस कॉलोनी तक                     | 63                     |
| 11       | परिधीय रोड़ मालवीय नगर             | एफ-ब्लॉक गोल चक्कर से कब्रिस्तान तक              | 13.50                  |
| 12       | मालवीय नगर पर खिड़की पहुंच मार्ग   | महर्षि दयानन्द मार्ग से एम.सी. स्कूल खिड़की      | 18                     |

|    |   |  |    |
|----|---|--|----|
|    |   | तक   |    |
| 13 | गीतांजली रोड                                      | शिवालिक का अग्र-भाग ए एवं बी ब्लॉक और मालवीय नगर, बेगम पुर       | 24 |
| 14 | ई. एवं एफ. ब्लॉक के बीच ईस्ट ऑफ कैलाश             | लाला लाजपत राय मार्ग से राजा धीर सिंह मार्ग तक                   | 24 |
| 15 | संत नगर आंतरिक रोड़                               | 234 से 287 तक  | 9  |
| 16 | संत नगर आंतरिक रोड़                               | 252 से 220 तक  | 9  |
| 17 | 30' चौड़ी सड़क, गौतम नगर                          | मकान सं.-201 से गुरुद्वारे तक                                    | 9  |
| 18 | 30' चौड़ी सड़क, गौतम नगर                          | साउथ कैफे से सुदर्शन रोड़ तक                                     | 9  |
| 19 | आंतरिक रोड़ सत्य निकेतन                           | मकान सं.-147 से मकान सं.-282 तक (दोनों साइड)                     | 9  |
| 20 | 60' चौड़ी सड़क, गौतम नगर                          | गौतम नगर पुलिया से नेशनल चेस्ट इन्स्टीट्यूट की सीमा तक (एक साइड) | 18 |
| 21 | पी.वी.आर.रोड़ और मन्दिर मार्ग को जोड़ने वाली सड़क | जे-ब्लॉक से शुरू होकर ई-ब्लॉक साकेत तक                           | 24 |
| 22 | अफ्रिका एवेन्यू मार्ग                             | ए-2/1, सफदर एन्क्लेव से हरसुख मार्ग तक                           | 45 |
| 23 | लाला लाजपत राय मार्ग                              | ए-53, कैलाश कॉलोनी से ब्लू बेल पब्लिक स्कूल तक                   | 30 |

दक्षिण ज़ोन में पहले से अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कें

(अतिरिक्त)

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम                 | सड़क का भाग<br>से-तक | मार्गाधिकार<br>(मीटर में) |
|----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | मालवीय नगर (मेन मार्किट<br>रोड) | पूण रूप से           | 18                        |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 15.9.2006 को अधिसूचित किए गए मिश्रित उपयोग मार्गों, व्यावसायिक क्षेत्रों/मार्गों तथा पैदल मार्गों की सूची ।

**व्यावसायिक मार्गों (दक्षिण जोन) का निर्धारण**

| क्र. सं. | सड़क/मार्ग का नाम                    | सड़क का क्षेत्र .....से ....<br>..... तक       | मार्गाधिकार<br>(मीटरों में ) |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1        | डी.ब्लॉक एन.डी.एस.ई.पार्ट-II         | म.न.डी.-8 से डी-15<br>एन.डी.एस. ई.-II          | 63.84                        |
| 2        | औखला रोड़ (मौलाना मोहम्मद अली मार्ग) | मथुरा रोड़ से औखला नहर तक                      | 30.00                        |
| 3        | जगदम्बा रोड़, तुगलकाबाद एक्सटेंशन    | रोड़ सं. 13 से गली सं. 32 तक                   | 9.00                         |
| 4        | रोड़ सं.-13, तुगलकाबाद एक्सटेंशन     | टी.ए.-95/01 से टी.ए.-326 पाकेट-8 तक            | 24.00                        |
| 5        | गली सं. .24 तुगलकाबाद एक्सटेंशन      | म.न.आर.जेड़ 2001 से आर.जेड़ 503                | 6.00                         |
| 6        | दक्षिणपुरी में सड़क                  | म.न.1/1 से 1/470 दक्षिणपुरी                    | 13.50                        |
| 7        | कालू मोहल्ला रोड़ अमृतपुरी           | कालू मोहल्ला रोड़                              | 9.00                         |
| 8        | मेन बदरपुर मार्केट, बदरपुर           | मेन बदरपुर मार्केट                             | 9.00                         |
| 9        | मोची गांव के अंदर का रोड़            | म.न.153 से परिधीय मार्ग, मोची गांव             | 9 से 13.5                    |
| 10       | हौजखास गांव में 20' चौड़ा रोड़       | हौजखास गांव मेन मार्केट रोड़                   | 6                            |
| 11       | युसुफ सराय में 20' चौड़ा रोड़        | 80' चौड़े रोड़ से सफदरजंग हॉस्पिटल बाउंड्री तक | 6                            |
| 12       | मुनीरका गांव के अंदर का रोड़         | म.नं. 92/1 से 111 बी तक                        | 6                            |
| 13       | कालकादास मार्ग, महरौली               | सी.सै.स्कूल कुतुब से अंधेरी मोड़ तक            | 6 से 16                      |
| 14       | पार्क रोड़ के साथ हौजरानी गांव       | म.नं.268 से पम्प हाऊस तक                       | 9                            |
| 15       | बंसत गांव की परिधीय रोड़             | म.नं. 80/4 से 81 और 76 से 89 तक                | 9                            |
| 16       | जीया सराय गांव का 40' चौड़ा          | गांव के शुरू होने से                           | 12.5                         |

|     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
|     | अंदर का मेन रोड़                        | आई.आई.टी.बाऊंड्री वाल तक                                      |       |
| 17  | कैनारा बैंक मार्ग, मुनीरका गांव         | म.नं. 62/6 से बाहरी रिंग रोड़ तक                              | 12.5  |
| 18  | जमरूदपुर गांव                           | म.नं. 87 ए से 78 ए तक   | 13.5  |
| 19  | जमरूदपुर में नन्दी विथी मार्ग           | मधुर मिलन बैंक्वेट हॉल से 87/3, जमरूदपुर तक                   | 24.00 |
| 20  | हरसुख मार्ग                             | बी-7, सफदरजंग एन्क्लेव से अर्जुन नगर नाला                     | 24.00 |
| 21  | मदनगिर गांव रोड़                        | डिस्पेंसरी से आर्य समाज तक                                    | 9.00  |
| 22  | आंतरिक रोड़/दक्षिणपुरी                  | गली नं.-5 डी.डी.ए. फ्लैट से गली नं. 42 डी. डी.ए. फ्लैट मदनगिर | 9.00  |
| 23  | दक्षिणपुरी में 30' चौड़ा आंतरिक रोड़    | निरंकारी भवन ब्लॉक नं. -10 से दक्षिणपुरी रोड़                 | 9.00  |
| 24  | दक्षिणपुरी में 30' आंतरिक रोड़          | दुर्बल नाथ मंदिर से पुलिया डी.एस.आई.डी.सी.                    | 9.00  |
| 25  | नेल्सन मंडेला रोड़                      | म.नं.ई-249 से बी-249, मुनीरका                                 | 30.00 |
| 26  | बी-ब्लॉक रोड़, दक्षिण पुरी              | इंदिरा विराट ऑटो-मार्केट से सी-ब्लॉक मार्केट                  | 9.00  |
| 27  | शिव शक्ति मार्केट रोड़ मदनगीर           | भुमिया चौक, मदनगीर से गुरुद्वारा टी-प्वाइंट विराट रोड़        | 9.00  |
| 28  | सैंट्रल मार्केट रोड़, मदनगीर            | स्वीट पैलेस मदनगीर से शिवानंद विद्यालय                        | 30.00 |
| 29  | मदनगीर के एफ और जी-1 ब्लॉक के बीच मार्ग | शिव शक्ति, मदनगीर के सामने से डी.डी.ए. फ्लैट के बी/डब्ल्यू तक | 9.00  |
| 30  | बाहरी रोड़ मुनीरका गांव                 | म.नं.एम.-37 से नेल्सन मंडेला मार्ग तक                         | 45.00 |
| 31  | अरबिंदो मार्ग                           | अंसारी नगर से कौशल्या पार्क की रैड लाइट तक                    | 60.00 |
| 32. | अधचीनी गांव पर अरबिंदो मार्ग            | एन.सी.ई.आर.टी.बाऊंड्री  | 45.60 |

|    |                                   |  |       |
|----|-----------------------------------|--|-------|
|    |                                   | से एम.सी.प्रा.स्कूल,<br>अधचीनी                         |       |
| 33 | 521 बस स्टैंड रोड़                | डी ब्लॉक दक्षिणपुरी से<br>जे-ब्लॉक दक्षिणपुरी तक       | 18.00 |
| 34 | गुरुद्वारा रोड़                   | बी-1, मदनगीर से<br>मदनगीर नाला रोड़                    | 18.00 |
| 35 | चंद्रावल रोड़, दक्षिण पुरी        | महिला नंगल 'ए' ब्लॉक<br>दक्षिणपुरी से एम.बी.रोड़<br>तक | 24    |
| 36 | दक्षिण पुरी रोड़ (बाल्मीकी मार्ग) | पुष्पा भवन से एम.बी.रोड़                               | 24    |
| 37 | विराट सिनेमा रोड़ (राजाराम मार्ग) | विराट सिनेमा के<br>टी-प्वाइंट से रोड़ नं.-13<br>तक     | 24    |

दक्षिण क्षेत्र में मिश्रित उपयोग की सड़कों का निर्धारण

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम                                       | सड़क का क्षेत्र ..... से<br>..... तक              | मार्गाधिकार<br>(मीटरों में) |
|----------|---|---|-----------------------------|
| 1        | रिंग रोड़ लाजपत नगर-IV                                | म.नं. 1 से 42 तक                                  | 63.84                       |
| 2        | मेन रोड़ (जाकिर नगर)                                  | बाटला हाऊस से एन.<br>एफ.सी 'ए' ब्लॉक तक           | 10.64                       |
| 3        | मसीह गढ़ रोड़ सुखदेव विहार                            | मसीह गढ़ चर्च से<br>सुखदेव विहार                  | 9                           |
| 4        | ओखला बाजार रोड़ ओखला                                  | ओखला नहर से तिकोना<br>पार्क                       | 7.6                         |
| 5        | ओखला बाजार रोड़ ओखला                                  | बाटला हाऊस से जूस<br>कॉर्नर                       | 6                           |
| 6        | ई.पी.डी.पी. रोड़ से पेट्रोल पम्प से<br>आउटर रिंग रोड़ | ई.पी.डी.पी.रोड़ से पेट्रोल<br>पम्प आउटर रिंग रोड़ | 64                          |
| 7        | गली नं.-12 तुगलकाबाद विस्तार                          | म.नं. आर.जैड़ 9/73 से<br>9/43                     | 6                           |
| 8        | गली नं.-19 तुगलकाबाद विस्तार                          | सब स्टेशन से आर.<br>जैड़-353 तक                   | 6                           |
| 9        | गली नं.-22 तुगलकाबाद विस्तार                          | म.नं.आर.जैड़-338 से<br>आर.जैड़-378                | 6                           |
| 10       | तेखण्ड गांव रोड़                                      | म.नं.-107 से टी-74                                | 18                          |

|    |   | तक   |           |
|----|---|--|-----------|
| 11 | मथुरा रोड़                                      | सरिता विहार से बदरपुर बोर्डर                         | 45        |
| 12 | इंटरनल रोड़ लक्ष्मी मार्केट मुनीरका गांव        | म.नं.-62/6 से 'ए'-91                                 | 6         |
| 13 | ओल्ड एम.बी.रोड़ लाडो सराय                       | अणुव्रत मार्ग से एम.बी. रोड़                         | 10        |
| 14 | चिराग दिल्ली परिधीय रोड़                        | म.नं.-553 से चिराग दिल्ली नाला तक                    | 9         |
| 15 | होस्टल रोड़, शेख सराय सावित्री नगर              | महर्षि दयानन्द मार्ग से फ्लैट नं.-1 शेखसराय फेस-1 तक | 18        |
| 16 | महर्षि दयानन्द मार्ग मालवीय नगर                 | बाहरी रिंग रोड़ से बाहरी रिंग रोड़                   | 24        |
| 17 | चिराग दिल्ली मेन रोड़                           | म.नं.-553 से बाहरी रिंग रोड़                         | 24        |
| 18 | अफ्रीका एवेन्यू मार्ग                           | ए-2/1, सफदरजंग एन्क्लेव से झंडू सिंह मार्ग           | 45        |
| 19 | रोड़, ब्लॉक नं.-3 से ब्लॉक नं.-7 दक्षिण पुरी तक | से नाला से ब्लॉक-7 पार्क                             | 18        |
| 20 | डा. अम्बेडकर मार्ग                              | पुष्प भवन से एम.बी.रोड़ खानपुर                       | 45        |
| 21 | परिधीय रोड़ मोची गांव                           | गुरुद्वारा से डी.डी.ए. कम्प्लैक्स                    | 9 से 13.5 |



**दक्षिणी जोन में पैदल शॉपिंग मार्गों का निर्धारण**

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम               | सड़क क्षेत्र ..... से ..... तक                             | मार्गाधिकार (मीटरों में) |
|----------|-------------------------------|--|--------------------------|
| 1        | मध्य मार्ग तुगलकाबाद विस्तार  | म.नं.आर.जैड़-169/1 से आर.जैड़ 465/138 तुगलकाबाद विस्तार तक | 5                        |
| 2        | गली नं.-1 तुगलकाबाद विस्तार   | म.नं.-टी.ए.-20 से आर.जैड़-177/1 तक                         | 4                        |
| 3        | गली नं.-2 तुगलकाबाद विस्तार   | म.नं.टी.ए.-11 से टी.ए.-30/2 तक                             | 4                        |
| 4        | गली नं.-3 तुगलकाबाद विस्तार   | म.नं.आर.जैड़.-1/45 डी से टी.ए.-44/3 तक                     | 4                        |
| 5        | गली नं.-4 तुगलकाबाद विस्तार   | म.नं.आर.जैड़. 1/5 से आर.जैड़-1/25 तक                       | 4                        |
| 6        | गली नं.-5 तुगलकाबाद विस्तार   | म.नं.आर.जैड़-21/5 से 160/5 तक                              | 5                        |
| 7        | गली नं.-6 तुगलकाबाद विस्तार   | म.नं.आर.जैड़. 16 डी. से आर.जैड़-35 ए/6                     | 5                        |
| 8        | गली नं.-8/9 तुगलकाबाद विस्तार | म.नं.आर.जैड़.-63 से आर.जैड़.64 तक                          | 6                        |
| 9        | गली नं.-10 तुगलकाबाद विस्तार  | म.नं.आर.जैड़.-80 एफ से आर.जैड़.-93/10                      | 6                        |
| 10       | गली नं.-11 तुगलकाबाद विस्तार  | म.नं.आर.जैड़.-9/20 से आर.जैड़.-11 तक                       | 5                        |
| 11       | गली नं.-13 तुगलकाबाद विस्तार  | म.नं.आर.जैड़.-306 से आर.जैड़. -4128 तक                     | 5                        |
| 12       | गली नं.-21 तुगलकाबाद विस्तार  | म.नं.आर.जैड़.-379 से 2540 तक                               | 5.5                      |
| 13       | गली नं.-23 तुगलकाबाद विस्तार  | म.नं.आर.जैड़.-1069 से आर.जैड़.-401 तक                      | 5.5                      |
| 14       | गली नं.-25 तुगलकाबाद विस्तार  | म.नं.आर.जैड़.-1912 से मस्जिद तक                            | 5.5                      |
| 15       | दक्षिणपुरी में रोड़           | म.नं.14/41 से 14/50 दक्षिणपुरी तक                          | 5                        |
| 16       | दक्षिणपुरी में रोड़           | म.नं.-1/20 से 1/450 दक्षिणपुरी                             | 4.5                      |

|     |                                  |  |      |
|-----|----------------------------------|--|------|
| 17  | दक्षिणपुरी में रोड़              | म.नं. 1/469 से 1/449<br>दक्षिणपुरी                           | 5    |
| 18  | दक्षिणपुरी में रोड़              | म.नं.14/467 से 15/196<br>दक्षिणपुरी                          | 5    |
| 19  | मेन रोड़ हरकेश नगर               | म.नं.जी-1 से एच-84 तक  | 13.5 |
| 20  | रेड़ीमेड़ वाली गली, महरौली       | कालकादास मार्ग से पवन<br>फुटवियर                             | 2    |
| 21  | दूध वाली गली महरौली              | कालकादास मार्ग से ए.के.वैद्य<br>तक                           | 3    |
| 22  | मुनीरका गांव के अंदर का मार्ग    | बाबू लाल चौक से 205<br>ए/1 तक                                | 4.5  |
| 23  | शाहपुर जट गांव                   | एम.सी.प्रा.स्कूल से परिधीय<br>रोड़ तक                        | 5    |
| 24  | जमरुदपुर गांव                    | पंजाबी मोहल्ला से नन्दी<br>विथी मार्ग तक                     | 5    |
| 25  | बैंक वाली गली, लाडो सराय         | कैम्पाकौला फैक्टरी (फिरनी<br>रोड़) से ओल्ड एम.बी. रोड़<br>तक | 5    |
| 26. | क्षत्री कुआं वाली गली, लाडो सराय | हनुमान टैम्पल (फिरनी रोड़)<br>से ओल्ड एम.बी.रोड़             | 5    |

दक्षिणी जोन में पहले से अधिसूचित मिश्रित उपयोग की मार्गों की सूची, जिन्हें व्यावसायिक मार्गों के रूप में घोषित किया जा रहा है ।

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम                                       | सड़क क्षेत्र ..... से ..... तक                   | मार्गाधिकार (मीटरों में) |
|----------|---|--|--------------------------|
| 1        | रिंग रोड़ (एन.डी.एस.ई. I एंड II )                     | ऐम्स क्रॉसिंग से डिफेंस कालोनी क्रॉसिंग तक       | 63                       |
| 2        | भीष्मपितामह मार्ग (डिफेंस कालोनी)                     | सेवा नगर रेलवे क्रॉसिंग से रिंग रोड़ क्रॉसिंग तक | 30                       |
| 3        | ब्लॉक जी एंड एच एवं ई एंड एफ. के.बीच कालकाजी मेन रोड़ | जी एंड एच एवं ई एंड एफ कालकाजी के बीच का रोड़    | 24                       |
| 4        | गोविंद पुरी एवं गोविंद पुरी विस्तार के बीच का रोड़    | पूरा क्षेत्र                                     | 24                       |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 12.4.2007 को अधिसूचित किए गए मिश्रित उपयोग मार्गों, व्यावसायिक क्षेत्रों/मार्गों तथा पैदल व्यावसायिक मार्गों की सूची ।

(दक्षिणी जोन) में व्यावसायिक मार्ग

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम  | रोड़ का क्षेत्र ..... से..... तक              | मार्गाधिकार (मीटरों में) |
|----------|--|---|--------------------------|
| 1        | मालवीय नगर   | ब्लॉक नं.-90/36-बी से 90/60 तक                | 13.50                    |
| 2        | मस्जिद मोठ गांव  | लीला राम मार्केट                              | 12.00                    |
| 3        | मुनीरका गांव प्रताप मार्केट के बीच का मार्ग            | म.नं.205 ई/1 से 92 एच तक                      | 9.00                     |
| 4        | बाबा गंगनाथ मार्केट से बाहरी रिंग रोड़ मुनीरका का गांव | म.नं. 211-सी से बाहरी रिंग रोड़               | 9.00                     |
| 5        | पुराना डाक खाना मार्ग, वार्ड-1 महरौली                  | शिव मंदिर सब्जीमण्डी से कालकादास मार्ग महरौली | 9.00                     |

(दक्षिणी जोन) में मिश्रित भूमि उपयोग मार्ग

| क्रम सं. | सड़क/गली का नाम   | रोड़ का क्षेत्र ..... से .....तक         | मार्गाधिकार (मीटरों में) |
|----------|---|--|--------------------------|
| 1        | बाटला हाऊस जामिया को-ऑपरेटिव रोड़                           | म. नं. ए-8, म. नं.- एफ.-12               | 13.5                     |
| 2        | रमेश मार्केट, गढी गांव                                      | म.नं. 198/53, 198/15 सी                  | 6                        |
| 3        | सन्त नगर मार्केट, लेन                                       | म.नं. 430/4, 327                         | 9                        |
| 4        | नेहरू मार्केट बदरपुर  | मथुरा रोड़ एन.टी.पी. सी.दीवार            | 9                        |
| 5        | गिडवानी मार्ग, लाजपत नगर-IV                                 | नाला ब्लॉक नं.'7 ओ. डी.एस.कैप गौड़ मार्ग | 10.5                     |
| 6        | मैन रोड़, अमर कालोनी रोड़ और दयानन्द कालोनी रिंग रोड़ बंगला | रिंग रोड़ ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत          | 18                       |

|    |  |  |       |
|----|--|--|-------|
|    | के पीछे से सपना क्रॉसिंग तक विभाजित                      | नगर-IV के पीछे सपना क्रॉसिंग तक  |       |
| 7  | मालवीय नगर में गुरुद्वारा रोड़                           | निल ब्लॉक-24 ए से एच 15/1 से ई 2/16 (मालवीय नगर)                               | 13.50 |
| 8  | गौतम नगर   | गेट नं.-4 से 5 तक इंटरनल रोड़ जो सम्पत्ति सं. एच-66 गौतम नगर से जुड़ा हुआ है । | 13.5. |
| 9  | मुनीरका गांव का अंदर का मार्ग                            | म.नं.एफ.-205 से म.नं. -138/11  | 7.00  |
| 10 | कटवारिया सराय गांव (मात्र एक ओर) में शहीद जीत सिंह मार्ग | कटवारिया सराय में मदर डेरी से बी.ए.ई. एस. कार्यालय तक                          | 30.00 |
| 11 | सुभाष कैम्प रोड़   | ब्लॉक नं.-7 दक्षिण पुरी विस्तार से पुलिस स्टेशन अम्बेडकर नगर तक                | 9.00  |
| 12 | आई.टी.आई.के पीछे की रोड़, मालवीय नगर                     | ब्लॉक नं.-90/36 से निल 75 मालवीय नगर   | 13.50 |
| 13 | गुरु गोविंद सिंह मार्ग, मालवीय नगर                       | बतरा मेडीकोस से राऊंड एबाऊट(बस टर्मिनल)  | 15.00 |
| 14 | डेसू रोड़, महरौली  | प्याऊ से भगवती हॉस्पिटल  | 6.5   |

47-

(दक्षिणी जोन) में पैदल शॉपिंग मार्ग

| क्रम सं. | रोड़/गली का नाम                          | रोड़ क्षेत्र ..... से ..... तक         | मार्गाधिकार (मीटरों में) |
|----------|--|--|--------------------------|
| 1        | भारत नगर                                 | म.नं.-1ए से म.नं.81/1 ए तक             | 4.5-6                    |
| 2        | भारत नगर                                 | म.नं.-85 सी से 74 तक                   | 4.5.6                    |
| 3        | सरिया जुलियाना अपा.                      | म.नं.2/21 से म.नं.-2/10                | 4.5.6                    |
| 4        | गली नं.-1 तुगलकाबाद विस्तार टी.ए. ब्लॉक  | आर.डी.-13, टी.ए.-93/01 से 198/1 तक     | 5                        |
| 5        | गली नं.-2, तुगलकाबाद विस्तार टी.ए. ब्लॉक | आर.डी.-13, टी.ए.-105 से टी.ए.-202 तक   | 5                        |
| 6        | गली नं.-3, तुगलकाबाद विस्तार टी.ए. ब्लॉक | आर.डी.-13, टी.ए.-112 से टी.ए.-174/3 तक | 5.5                      |
| 7        | गली नं.-4, तुगलकाबाद विस्तार             | रोड़-13 टी.ए.-126 से टी.ए. 235 तक      | 5                        |
| 8        | गली नं.-17, तुगलकाबाद विस्तार            | 306/17 से 190 बी/17                    | 5                        |

(दक्षिणी जोन) में मिश्रित उपयोग

| क्र.सं. | रोड़/गली का नाम                          | रोड़ का क्षेत्र .....से ..... तक  | मार्गाधिकार (मीटरों में) |
|---------|--|---|--------------------------|
| 1       | सराय जुलियाना अपा.जाकिर बाग              | म.नं.-2/1 से म.नं.-79   | 4.5 से 6                 |
| 2       | अर्जुन नगर में बीच का रोड़               | म.नं.-14ए से 80 तक  | 5.00                     |
| 3       | अर्जुन नगर में बीच का रोड़               | म.नं.-104 से 113 एफ तक  | 5.00                     |
| 4       | अर्जुन नगर में बीच का रोड़               | म.नं.-49 बी से 185 तक   | 4.50                     |
| 5       | महरौली में बीच का रोड़                   | कालकादास मार्ग से भाई मतिदास को-ऑपरेटिव थैप्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि.तक | 5.50                     |
| 6       | एपरोच रोड़ से वार्ड-2 और वार्ड-3, महरौली | डेसू रोड़ से म.नं.-128/2 (शिव महालक्ष्मी स्टोर)                         | 4.50                     |
| 7       | हौजखास गांव, हौजखास के बीच का रोड़       | म.नं.-9ए से 24/1 तक   | 4.5.                     |
| 8       | हौजखास गांव, हौजखास के बीच का रोड़       | म.नं.-12-बी से 24/1 नार्दिन साइड  | 2.00                     |

|    |  |   |      |
|----|--|---|------|
| 9  | गौतम नगर के बीच का रोड़                            | रोड़ नं.-4 गुर्जर डेरी (गौतम नगर)           | 4.50 |
| 10 | मुनीरका गांव के बीच का रोड़                        | म.नं.205-ए/1 से 249 तक                      | 4.00 |
| 11 | मुनीरका गांव के बीच का रोड़                        | म.नं.-249 जी से 249-ई (नेल्सन मंडेला मार्ग) | 4.00 |
| 12 | बाबा गंगानाथ मार्केट (मुनीरका गांव) के बीच का रोड़ | म. नं.-92ई/1 से म.नं.-109 तक                | 4.00 |
| 13 | महरौली में छतरी वाली गली मिनी मार्केट              | सब्जी मण्डी रोड़ से कालकादास मार्ग          | 2.90 |

स्रोत:-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

अनुबन्ध- 'डी'

जोन- 'एफ' में 1.0 हैक्टेयर अधिक क्षेत्र के होते हुए जल निकायों की सूची :

(दक्षिणी दिल्ली-1)

1. जिला पार्क हौजखास
2. जिला पार्क धौला कुआं
3. सतपुला लेख

दिल्ली परिमंडल पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीकृत सुरक्षित स्मारकों की सूची

| क्रम सं. | स्मारक एवं क्षेत्र  | गजट अधिसूचना में दिए गए स्मारक का नाम | गजट अधिसूचना सं. और तारीख                                       |
|----------|---|---------------------------------------|---|
| 1        | अशोकन रोड़ आदेश-पत्र श्री निवास पुरी                                  | बाहापुर अशोकन रोक आदेश-पत्र           | एस.ओ.-440<br>दिनांक 4.12.1967<br>एस.ओ.-1637<br>दिनांक 1.5.1968  |
| 2        | अज़ीमखान टोम्ब लाडो सराय  | अर्जुन खां नाम से बताई गई अज्ञात टोम  | एस.ओ. 2713<br>दिनांक 0.8.1988<br>एस.ओ. 0035<br>दिनांक 1.12.1989 |
| 3        | बदायू गेट, (लाडो सराय) खसरा नं.-412                                   | बदायूं गेट्स                          | 9767 एजू.<br>दिनांक 21.11.1917<br>1708 एजू.<br>दिनांक 4.3.1918  |
| 4        | बैग-1 आलम गुम्बद, हुमायूं पुर गांव (हौजखास)                           | मोस्क्यू के साथ बैग-1 आलम गुम्बद      | 2470 एजू.<br>दिनांक 20.4.1925<br>3925 एजू.<br>दिनांक 24.6.1925  |
| 5        | बंदी या पोटीका गुम्बद, खरेहरा गांव, हौजखास और कुतुब रोड़ के बीच टोम्ब | बंदी या पोटीका गुम्बद                 | 2470 एजू.<br>दिनांक 20.4.1925<br>3925 एजू.<br>दिनांक 24.6.1924  |
| 6        | बाओली (मुनीरका)   | बाओली                                 | 1947 एजू.<br>दिनांक 11.4.1924<br>3201 एजू.<br>दिनांक 11.6.1924  |
| 7        | बाराखम्बा हौजखास और कुतुब रोड़ के मध्य खरेहरा गांव टोम्ब              | बारा खम्बा                            | 2470 एजू.<br>दिनांक 20.4.1925<br>3925 एजू.<br>दिनांक 24.6.1926  |
| 8        | बेगमपुरी मस्जिद बेगमपुर गांव  | बेगमपुरी मस्जिद                       | 293 एजू.<br>दिनांक 11.1.1918<br>2324 एजू.                       |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | दि. 25.3.1918  |
| 9  | बीबी या दादी का गुम्बद<br>हौजखास<br>एन्क्लेव                         | बीबी या दादी का गुम्बद  | 2470 एजू.<br>दिनांक 20.4.1925<br>3925 एजू.<br>दिनांक 24.6.1925 |
| 10 | बिजै मण्डल, बेगमपुर  | बिजै मण्डल इहबोरिंग डोम्स बिल्डिंग और कालो सराय गांव में दालान से बेगमपुर के दक्षिण तक बीरान का गुम्बद    | 293 एजू.<br>दिनांक 11.1.1918<br>2324 एजू.<br>दिनांक 25.3.1918  |
| 11 | बिरान का गुम्बद,<br>हौजखास और कुतुब रोड़ के मध्य खरेहरा गांव टोम्बस् |   | 2470 एजू.<br>दिनांक 20.4.1925<br>3925 एजू.<br>दिनांक 24.6.1925 |
| 12 | चोर मीनार, हौजखास<br>एन्क्लेव  | चोर मीनार   | 3465 एजू.<br>दिनांक 20.4.1924<br>4700 एजू.<br>दिनांक 19.8.1924 |
| 13 | छोटी गुमटी खरेहरी गांव,<br>हौजखास और कुतुब रोड़ के मध्य टोम्बस्      | छोटी गुमटी  | 2470 एजू.<br>दिनांक 20.4.1924<br>2925 एजू.<br>दिनांक 24.6.1925 |
| 14 | गंधक-की-बाओली,<br>महरौली   | ओल्ड बाओली मोजा महरौली में दीविंग वाल के नाम से जानी जाती है ।  | 293 एजू.<br>दिनांक 11.1.1918<br>2324 एजू.<br>दिनांक 25.3.1918  |
| 15 | ग्यासूद्दीन तुगलकाबाद टोम्ब,<br>तुगलकाबाद                            | दाउदखां टोम्ब सहित ग्यासूद्दीन, टोम्ब, तुगलकाबाद, वालस, बेसनस्, गेट्स एवं कौज-वे                          | 293 एजू.<br>दिनांक 11.1.1918<br>2324 एजू.<br>दिनांक 25.3.1918  |
| 16 | स्मारकों का समूह,<br>हौजखास  | हौजखास-हौजखास में बने निम्नलिखित भवनों का समूह:<br>1 फिरोजशाह मकबरा<br><br>2 डोम्ड भवन से पश्चिम का नं.-1 | 1113 एजू.<br>दिनांक 11.2.1914<br>6037 एजू.<br>दिनांक 26.8.1914 |

|    |                  |  |  |                           |
|----|------------------|--|--|---------------------------|
|    |                  | 4  | डोम्ड भवन और दक्षिण के.नं. 3 का उसका कोर्ट   |                           |
|    |                  | 5  | दालानस् और नं.-1 के उत्तर में सभी क्षतिग्रस्त भवन तथा नं.-10 तक बड़े हुए ।   |                           |
|    |                  | 7  | नं.-6 के उत्तर में पुराना गेट  |                           |
|    |                  | 8  | नं.-7 के उत्तर - पश्चिम में तीन छतरियां  |                           |
|    |                  | 9  | नं.-7 के पूर्व में पुराना कब्रिस्तान   |                           |
|    |                  | 10   | क्षतिग्रस्त और उसके नं.-8 के उत्तर पश्चिम के डोम्ड भवन के साथ क्षतिग्रस्त कोर्ट-यार्ड  |                           |
|    |                  | 11   | 4 नं. से पूर्व तक जाने वाली पुरानी दीवार   |                           |
|    |                  | 12   | उपर्युक्त स्मारकों के चारों ओर 2.23 एकड़ भूमि और जिसके उत्तर में छंगगा और मेहरचन्द, सुपुत्र हंसराम तथा उदय राम सुपुत्र कुशल का मकान है, दक्षिण में घेरमुमका रास्ता, पूर्व में गांव की जगह, जो गांव समुदाय की है, पश्चिम के फील्ड सं. -185, 186 हैं । |                           |
| 17 | हौजशम्सी, महरौली | सरकार के स्वामित्व में क्षेत्र सं. 1574-81, 1588-97, 1614, |  | 5783 एजू. दिनांक 6.8.1918 |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | 1623 और 1624 महरौली में केन्द्रीय परस्तर मण्डप के साथ स्थित होज शम्सी । | 7485 एजू<br>दिनांक 25.10.1918                                       |
| 18 | ईदगाह (हौजखास)<br>हौजखास एन्क्लेव   | खरेहरा का ईदगाह   | 3465 एजू<br>दिनांक 20.6.1924<br>4700 एजू<br>दिनांक 19.8.1924        |
| 19 | आइरन पीलर<br>(महरौली) कुतुब<br>कम्प्लैक्स, महरौली                                 | आइरन पीलर, हिंदु अवशेष  | पंजाब गजट :-<br>314 दिनांक 17.4.1909<br>849 दिनांक 9.12.1909        |
| 20 | जहांपनाह दीवार,<br>अधचीनी   | गढ़, जहां जहांपनाह की दीवार<br>राय पिथोर के किले से मिलती<br>है ।       | 9767 एजू<br>दिनांक 21.11.1917<br>1708 एजू<br>दिनांक 4.3.1918        |
| 21 | जहाज महल, महरौली  | महरौली में जहाज महल   | 293 एजू<br>दिनांक 11.1.1918<br>2324 एजू<br>दिनांक 25.3.1918         |
| 22 | जमाली कमाली गुम्बद<br>एवं मस्जिद, महरौली  | मौलाना जमाली कमाली की<br>गुम्बद और मस्जिद                               | 8752 एजू<br>दिनांक 9.12.1914<br>782 एजू<br>दिनांक 4.2.1915          |
| 23 | जागा भाई टीला,<br>जामिया नगर काबुली<br>दरवाजा, लाल दरवाजे<br>के नीचे देखो ।       | टीला जागा भाई के नाम से<br>जाना जाता है ।                               | एस.ओ. 1770<br>दिनांक 5.6.1965<br>एफ.5-83 / 64-सी-1<br>दि. 14.9.1965 |
| 24 | काली गुमटी, हौजखास  | काली गुमटी  | 2470 एजू.दि. 20.4.1925<br>3925 एजू.दि. 24.6.1925                    |
| 25 | खिड़की मस्जिद,<br>खिड़की गांव   | खिड़की मस्जिद   | 8752 एजू.दि. 9.12.1914<br>782 एजू.दि.4.2.1915                       |
| 26 | लाल गुम्बद, चिराग<br>दिल्ली   | लाल गुम्बद  | 1947 एजू.दि. 11.4.1924<br>3201 एजू.दि. 11.6.1924                    |
| 27 | लाल कोट, गेट-वे,<br>लाडोसराय कुतुब रोड़<br>पश्चिमी दिल्ली से<br>400' खसरा नं.-143 | 'ए' गेट-वे ऑफ लाल कोट   | 9767 एजू.दि. 21.11.1917<br>1708 एजू.दि. 4.3.1918                    |
| 29 | मोदी मस्जिद, लाडो<br>सराय   | मेरी मस्जिद   | 2470 एजू.दि. 20.4.1925<br>3925 एजू.दि. 24.6.1925                    |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 30 | मोहम्मद तुगलक शाह गुम्बद, बदरपुर   | तुगलकाबाद में मोहम्मद तुगलक की गुम्बद  | 2163 एजू.दि. 30.3.1921<br>4190 एजू.दि. 28.6.1921              |
| 31 | मस्जिद (मुनीरका)   | बिना नाम की मस्जिद   | 1947 एजू. दि. 11.4.1924<br>3201 एजू.दि. 11.6.1924             |
| 32 | मोठ की मस्जिद, साऊथ एक्सटेंशन  | मोठ मस्जिद   | पंजाब गजट:-<br>164 दिनांक 13.2.1906<br>1074 दिनांक 18.11.1906 |
| 33 | मोती मस्जिद, महरौली  | मोती मस्जिद  | 5848 एजू. दि. 29.9.1926<br>7213 दि. 27.11.1926                |
| 34 | मुण्डा गुम्बद, मुनीरका   | मुण्डा गुम्बद  | 1947 एजू. दि.11.4.1924<br>3201 एजू.दि. 11.6.1924              |
| 35 | नाई-का-कोट, तुगलकाबाद  | नाई-का-कोट, तुगलकाबाद  | 293 एजू. दि. 11.1.1198<br>2324 एजू.दि. 25.3.1918              |
| 36 | कुतुब कम्पलैक्स महरौली   | कुतुब पुरातत्ववीय क्षेत्र जो मस्जिद सहित आइरन, पीलर, घेराबंदी में है, कुतुबदीन की मीनार असज्जित मीनार है, सभी स्तम्भावली, महराबी स्क्रीन, अलतमस का मकबरा, अलाऊदीन के कालिज भवन, इमाम जामीन का मकबरा और उपर्युक्त क्षेत्र में उद्यानों सहित कावर्ड स्टोन, पानी की नालियों का रास्ता और अलाही दरवाजा सहित गेट-वेज, उपर्युक्त क्षेत्र में समस्त कब्रे भी सम्मिलित हैं । |   |
| 37 | किला राय पिथोरा, रैम्प एवं गेट-वेज, अधचिनी   | किला राय पिथोरा की रैम्प और गेट-वेज  | 9767 एजू. दि.21.11.1917<br>1708 एजू. दि.4.3.1918              |
| 38 | किला राय पिथोरा, गेट-वेज, लाडो सराय  | किला राय पिथोरा का गेट-वेज   | 9767 एजू.दि.21.11.1917<br>1708 एजू.दि. 4.3.1918               |
| 39 | कुतुब तुगलकाबाद रोड़ के ठीक उत्तर में बाग नाजिर से मण्डप के पास नष्ट गेट-वे तक, किला राय पिथोरा, | गेट-वेज और मण्डप सहित किला राय पिथोरा की दीवार   | 9767 एजू. दि.21.11.1917<br>1708 एजू. दि.4.3.1918              |
| 40 | जमाली कमाली  | किले का वह स्थान, जहां वे  | 1708 एजू. दि.4.3.1918   |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | मस्जिद के पास<br>महरौली में राय पिथोरा<br>का किला             | दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ।   |   |
| 41 | किला राय पिथोरा,<br>हौजरानी                                   | राय पिथोरा किले की दीवार<br>और जहांपनाह का वह स्थान<br>जहां वे-एक दूसरे से मिलते<br>हैं ।   | 9767 एजू.दि. 21.11.1917<br>1708 एजू. दि.4.3.1918        |
| 42 | किला राय पिथोरा,<br>महरौली                                    | खाई, जहां एक बाहरी दीवार<br>है को शामिल करते हुए सोहन<br>गैट से आदमखन के<br>मकबरे-तक से लालकोट और<br>किला राय पिथोरा की दीवारें ।           | 9767 एजू. दि.21.11.1917<br>1708 एजू. दि.4.3.1918        |
| 43 | राजों-की-बैन, लाडो<br>सराय                                    | मस्जिद और छतरी के साथ<br>राजों-की-बैन   | 2470 एजू.दि.20.4.1925<br>3925 एजू. दि.24.6.1925         |
| 44 | रकाबवाला गुम्बद,<br>मालवीय नगर                                | सराय शाहजी में स्थित शेष<br>कबीर-उदीन का मकबरा भी<br>रकाब वाला गुम्बद के नाम से<br>जाना जाता है ।   | 5783 एजू. दि.6.8.1918<br>7485 एजू. 25.10.1918           |
| 45 | सफदरजंग का मकबरा  | सफदरजंग मकबरा (मिर्जा<br>मुकीम मनसूर अली खां) के<br>साथ जुड़ी दीवारें, गेट-वेज<br>और उद्यानों तथा उद्यानों की<br>पूर्व दिशा में मस्जिद है । | 7911 एजू.दि.23.10.1913<br>9058 एजू. दि.11.12.1913       |
| 46 | सकरी गुमटी खरेरा<br>गांव (ग्रीन पार्क)                        | सकरी गुमटी  | 2470 एजू. दि.20.4.1925<br>3925 एजू.दि. 24.6.1925        |
| 47 | सतपुला, खिड़की गांव   | सतपुला  | 1947 एजू.दि. 11.4.1924<br>3201 एजू. दि.11.04.1924       |
| 48 | शाह आलम बहादुर<br>शाह, शाह आलम -II<br>अकबर शाह-II ,<br>महरौली | अनुलग्नक, जिसमें शाह आलम<br>बहादुर शाह, शाह आलम-II,<br>और अकबर शाह-II के<br>मकबरे हैं ।   | 5848 एजू.दि. 29.9.1926<br>7213 एजू. दि.27.11.1926       |
| 49 | शमसीद तलब, महरौली   | शम्सी तलब के नाम से जानी<br>जाने वाली मस्जिद है जिसके<br>दोनों प्लेटफार्मों पर प्रवेश द्वार<br>हैं ।  | पंजाब गजट नं.-960 दि.<br>30.10.1907<br>37 दि. 15.2.1908 |
| 50 | श्रीफोर्ट   | शाहपुर जट गांव में श्रीफोर्ट के<br>अंदर के भवन, मोहमदी वाला,  | 4414 एजू. दि.14.6.1918<br>4759 एजू. दि. 6.8.1919        |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | मखदम की, थाने वाला, शाहपुर<br>जट  |  |
| 51 | महरौली के पश्चिम में<br>सुल्तान गढ़ी टोम्ब                 | सुल्तान गढ़ी टोम्ब  | 8757 एजू. दि. 9.12.1914<br>782 एजू. दि. 4.2.1915   |
| 52 | तीन बुर्जी वाला गुम्बद,<br>मोहम्मद पुर गांव                | तीन बुर्जी वाला गुम्बद  | 1947 एजू. दि. 11.4.1924<br>3201 एजू. दि. 11.6.1924 |
| 53 | तूहफे वाला गुम्बद,<br>हुमायूँपुर गांव<br>(हौजखास) शाहपुरजट | तूहफेवाला गुम्बद  | 2470 एजू. दि. 20.4.1925<br>3925 एजू. दि. 24.6.1925 |
| 54 | बिना नाम की गुम्बद<br>मुहम्मदपुर गांव                      | बिना नाम की गुम्बद  | 1947 एजू. दि. 11.4.1924<br>3201 एजू. दि. 11.6.1924 |
| 55 | मुनीरका गुम्बद   | बिना नाम की गुम्बद  | 1947 एजू. दि. 11.4.1924                            |
| 56 | मुनीरका गुम्बद   | बिना नाम की गुम्बद  | 1947 एजू. दि. 11.4.1924                            |
| 57 | मुनीरका गुम्बद   | बिना नाम की गुम्बद  | 1947 एजू. दि. 11.4.1924                            |
| 58 | मुनीरका गुम्बद   | बिना नाम की गुम्बद  | 1947 एजू. दि. 11.4.1924                            |
| 59 | तुगलकाबाद, पुराने<br>शहर की दीवारें,<br>बदरपुर जेल         | तुगलकाबाद के पुराने शहर की<br>दीवारें   | 2163 एजू. दि. 30.3.1921<br>4160 एजू. दि. 28.6.1921 |
| 60 | तुगलकाबाद किला,<br>तुगलकाबाद                               | दीवारें, गेट-वेज, मण्डप और<br>तुगलकाबाद किलों के अंदर<br>और बाहर के भवनों के अंदर | 8752 एजू. दि. 9.12.1914<br>782 एजू. दि. 4.2.1915   |
| 61 | खिड़की में स्थित<br>यूसुफ काटल का<br>गुम्बद                | खिड़की में स्थित युसुफ काटल<br>की गुम्बद  | 5783 एजू. दि. 6.8.1918<br>7485 एजू. दि. 25.10.1918 |
| 62 | महरौली मस्जिद की<br>दीवार                                  | महरौली में दीवार मस्जिद   | 1987 एजू. दि. 11.4.1924<br>3201 एजू. दि. 11.6.1924 |
| 63 | वाजीरपुर का गुम्बद,<br>मुनीरका                             | वाजीर पुर का गुम्बद   | 1947 एजू. दि. 11.4.1924<br>3201 एजू. दि. 11.6.1924 |

स्रोत :- ए.एस.आई.

पुरातत्ववीय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) विभाग द्वारा दिए गए स्मारकों की सूची

स्मारकों की सूची

| क्र.सं. | स्मारक का नाम   | क्षेत्र  | संदर्भित ग्रन्थों के अनुसार |             |
|---------|---|--|-----------------------------|-------------|
|         |   |  | जाफर हसन                    | इंटैक       |
| (1)     | (2)   | (3)  | (4)                         | (5)         |
| 1       | चौमची खां का मकबरा  | महरौली   | III / 122                   | -           |
| 2       | बिरजी खां का मकबरा  | आर.के.पुरम सैक्टर-3                              | III / 324                   | II / एफ-32  |
| 3       | मकबरा (जानकारी रहित)  | बिरजी खां के मकबरे के निकट, आर.के.पुरम, सैक्टर-3 | III / 325-333               | II / एफ-33  |
| 4       | मोहम्मद कुली खां का मकबरा   | कुतुब कम्प्लैक्स, महरौली का दक्षिण-पूर्वी कोरनर  | III / 16                    | II / एफ-383 |
| 5       | मकबरा आहाता   | महरौली जाफर महल के पास                           | III / 63                    | II / एफ-377 |
| 6       | मकबरा (जानकारी रहित)  | -वही-  | III / 65                    | II / एफ-378 |
| 7       | शेख सुलेमन का मकबरा सामान्यतः सय्यीद खुंखुवर के नाम से जानी जाती है । | -वही-  | III / 66                    | II / एफ-379 |
| 8       | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-  | III / 67                    | II / एफ-380 |
| 9       | दिवान-ए-खास   | जाफर महल या दरगाह बक्तीवार काकी के पास, महरौली   | III / 69                    | -           |
| 10      | बक्सी महमूद के उद्यान के रूप में जाना जाने वाला घिरा हुआ उद्यान       | वार्ड-8 महरौली, जाफर महल के पीछे                 | III / 75                    | II / एफ-376 |

|    |   |  |           |                 |
|----|---|--|-----------|-----------------|
| 11 | अज्ञात मकबरा                              | तकिया कमाली शाह के पास<br>महरौली                     | III / 76  | -               |
| 12 | शेख ईयातुल्ला की सराय                     | 893, वार्ड-8,<br>महरौली                              | III / 78  | II / एफ-332     |
| 13 | चिहलतन चिहलमन                             | सोहन बुर्ज के पास                                    | III / 85  | II / एफ-439     |
| 14 | अज्ञात मकबरा                              | गुड़गांव रोड़ की पश्चिम की साइट पर सोहन बुर्ज के पास | III / 90  | II / एफ-343     |
| 15 | मकदूम समाऊद्दीन का मकबरा                  | -वही-  | III / 92  | II / एफ-346     |
| 16 | सैदूद्दीन बल्खी का कहा जाने वाला यह मकबरा | हौजशमसी के पास, महरौली                               | III / 110 | -               |
| 17 | काबुलीवाला कहे जाने वाला एक आहाता         | काजी उद्यान के अंदर महरौली                           | III / 111 | -               |
| 18 | सौबते (मकबरा)                             | नठवन की कॉलोनी                                       | III / 112 | II / एफ-457-458 |
| 19 | पिल्खन (एलीफेंट स्टेबल)                   | दक्षिण की ओर महरौली मार्केट                          | III / 116 | -               |
| 20 | हॉफिज दारुद का घर                         | -वही-  | III / 118 | -               |
| 21 | सदरुद्दीन का घर                           | -वही-  | III / 119 | -               |
| 22 | मकबरा (अज्ञात)                            | आदम खां के मकबरे के पास                              | III / 124 | II / एफ-266     |
| 23 | मकबरा (अज्ञात)                            | ईदगाह नं.-133 के ठीक पीछे                            | III / 134 | II / एफ-447     |
| 24 | शेख शिहाबुद्दीन का मकबरा                  | दुर्ग के रणजीत दरवाजे के पास, किला राय पिथोरा        | III / 136 | II / एफ-448-49  |
| 25 | अनंग ताल                                  | जोगमाया मंदिर के पीछे                                | III / 140 | -               |
| 26 | मकबरा अज्ञात                              | बल्बन मकबरे के                                       | III / 148 | II / एफ-414     |



|    |  |   |           |             |
|----|--|---|-----------|-------------|
|    |  | पास, डी.डी.ए.<br>पुरातत्वीय पार्क                   |           |             |
| 27 | अज्ञात मकबरा   | जमाली कमाली<br>के पास, डी.डी.ए.<br>पुरातत्वीय पार्क | III / 149 | II / एफ-418 |
| 28 | आस-पास में यह<br>मकबरा खान शाहिद<br>के नाम से जाना<br>जाता है      | -वही-   | III / 150 | II / एफ-419 |
| 29 | एक भवन मूल रूप<br>से एक घुड़शाल होने<br>के लिए कहा जाता<br>है।     | जमाली कमाली<br>के पास, डी.डी.ए.<br>पुरातत्वीय पार्क | III / 151 | II / एफ-420 |
| 30 | मस्जिद (नाम रहित)  | -वही-   | III / 152 | II / एफ-421 |
| 31 | मकबरा (अज्ञात)   | -वही-   | III / 153 | II / एफ-424 |
| 32 | बघी नाजीर  | -वही-   | III / 155 | II / एफ-429 |
| 33 | मस्जिद आस-पास में<br>बघीची की मस्जिद<br>के नाम से जानी<br>जाती है। | दादाबाड़ी जैन<br>मंदिर के पास,<br>महरौली            | III / 161 | II / एफ-431 |
| 34 | मकबरा  | महरौली बस<br>टर्मिनल के पीछे                        | III / 168 | II / एफ-392 |
| 35 | मकबरा (अज्ञात)   | -वही-   | III / 170 | II / एफ-394 |
| 36 | एक आहाता   | गंडक की बौली<br>के पास, महरौली                      | III / 176 | II / एफ-405 |
| 37 | मकबरा (अज्ञात)   | -वही-   | III / 177 | II / एफ-401 |
| 38 | मकबरा (अज्ञात)   | चिहलतन<br>चिलमन के पास<br>महरौली                    | III / 186 | -           |
| 38 | मकबरा (अज्ञात)   | अंधेरिया मौड,<br>महरौली                             | III / 189 | -           |
| 39 | मकबरा (अज्ञात)   | लाड़ो सराय गांव<br>की दक्षिण दिशा<br>में, महरौली    | III / 200 | II / एफ7191 |
| 40 | मकबरा (अज्ञात)   | एल.एस.आर.टी.बी.<br>हॉस्पिटल के<br>पास, महरौली       | III / 202 | II / एफ-192 |

|    |   |  |           |                 |
|----|---|--|-----------|-----------------|
| 41 | शेख हैदर का मकबरा   | एम.बी.रोड़ की उत्तर की साइड में, लाड़ो सराय, महरौली        | III / 206 | II / एफ-194     |
| 42 | आस-पास में मकबरा सेज झातिले का मकबरा के नाम से जाना जाता है । | लाल मंदिर के पास, मालवीय नगर मार्केट                       | III / 213 | -               |
| 43 | शेख उस्मान की सैय्या का मकबरा                                 | न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल के पास, मालवीय नगर                  | III / 218 | II / एफ-158     |
| 44 | गांव की बाहरी आहाते की दीवारें                                | चिराग दिल्ली गांव के चारों ओर                              | III / 219 | II / एफ-162-166 |
| 45 | मकबरा (अज्ञात)  | गांव चिराग, दिल्ली   | III / 241 | -               |
| 46 | मकबरा (अज्ञात)  | गांव चिराग, दिल्ली   | III / 242 | -               |
| 47 | खंगाह   | चिराग दिल्ली के बाहरी आहाते की पश्चिमी दीवार की बाहरी साइड | III / 243 | -               |
| 48 | बारहखम्बा के नाम से जाना जाने वाला मकबरा                      | चिराग दिल्ली के आहाते के पूर्वी द्वार के पास               | III / 244 | II / एफ.-189    |
| 49 | शेख अलाऊद्दीन का मकबरा  | सावित्री नगर, मंदिर के पास                                 | III / 246 | II / एफ-145     |
| 50 | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-  | III / 247 | II / एफ-146     |
| 51 | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-  | III / 248 | II / एफ-147     |
| 52 | मजलिश खाना (संसद भवन)   | -वही-  | III / 249 | -               |
| 53 | शेख सलाऊद्दीन दर्वेश का मकबरा                                 | डी.डी.ए.पार्क शेख सराय (सावित्री नगर)                      | III / 251 | II / एफ-148     |
| 54 | मकबरा (अज्ञात)  | डी.डी.ए. पार्क, शेख सराय (सावित्री नगर)                    | III / 252 | II / एफ-151     |

|    |  |  |           |             |
|----|--|--|-----------|-------------|
| 55 | मकबरा (अज्ञात)   | -वही-  | III / 253 | -           |
| 56 | सम्भवतः एक मजलिश खाने का एक भवन                                | -वही-  | III / 254 | II / एफ-153 |
| 57 | आस-पास में सय्यीद मित्थाह के नाम से जाना जाने वाला मकबरा       | लाल गुम्बद के पास साधना एन्क्लेव                         | III / 257 | II / एफ-143 |
| 58 | खरबूजे का गुम्बद   | पंचशील पब्लिक स्कूल के अंदर की ओर साधना एन्क्लेव         | III / 261 | II / एफ-144 |
| 59 | गुल्लकवाला के नाम से जाना जाने वाला आहाता                      | लाल गुम्बद के पास मालवीय नगर                             | III / 263 | II / एफ-140 |
| 60 | गांव के आहाते की दीवारें                                       | ग्रीन पार्क चर्च के सामने                                | III / 277 | II / एफ-76  |
| 61 | मस्जिद (नाम रहित)  | ग्रीन पार्क चर्च के सामने आहाते की दीवारों की अंदर की ओर | III / 278 | II / एफ-77  |
| 62 | सम्भवतः एक मकबरा (एक डोम्बड भवन)                               | एशियाड इन्डोर स्टेडियम की अंदर की ओर, खेलगांव            | III / 297 | -           |
| 63 | मकबरा (अज्ञात)   | गौतम नगर, युसुफ सराय                                     | III / 302 | II / एफ-92  |
| 64 | दर्वेशशाह की मस्जिद  | श्री ऑडीटोरियम के पास खेलगांव                            | III / 304 | III / एफ-79 |
| 65 | एक गुम्बंदीय आकार की छतरी                                      | रोज गार्डन में हौज खास                                   | III / 320 | -           |
| 66 | आस-पास में हाजी लिंगा की गुम्बद के नाम से जाना जाने वाला मकबरा | आर.के.पुरम सैक्टर-4                                      | III / 322 | II / एफ-30  |
| 67 | एक गुम्बंदीय आकार का भवन                                       | आर.के.पुरम सैक्टर-4                                      | III / 323 | I / एफ-31   |

|    |   |   |           |                       |
|----|---|---|-----------|-----------------------|
| 68 | मुण्डा गुम्बद<br>(छत्तरहित डोम)                               | हौजखास टैंक के पास                              | III / 326 | II / एफ-59            |
| 69 | आस-पास में मालुफ-चंद के गुम्बद के नाम से जाना जाने वाला मकबरा | हुमायुंपुर गांव के मध्य में                     | III / 334 | II / एफ-41            |
| 70 | आस-पास में गुमटी के नाम से जाना जाने वाला मकबरा               | एन.सी.सी.ऑफिस के पास                            | III / 335 | II / एफ-43            |
| 71 | मकबरा (अज्ञात)  | कटवारी सराय गांव के मध्य में                    | III / 338 | II / एफ-113           |
| 72 | मकबरा (अज्ञात)  | अरविंदो मार्ग, अधचीनी रोड़ की पूर्वी साइड पर    | III / 343 | -                     |
| 73 | एक आहाते का एक दरवाजा   | -वही-   | III / 344 | -                     |
| 74 | बाग मोची<br>(मोची का उद्यान)                                  | मोची बाग गांव                                   | II / 302  | -                     |
| 75 | कुआं  | -वही-   | II / 303  | -                     |
| 76 | मकबरा (अज्ञात)  | भीकाजी कामाजी प्लेस के पास मोहम्मद पुर गांव     | II / 306  | II / एफ-37            |
| 77 | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-   | II / 308  | -                     |
| 78 | मूसा खां का मकबरा   | एस.टी.थोमर्स चर्च के पास, आर.के. पुरम, सैक्टर-2 | II / 309  | II / एफ-39            |
| 79 | मकबरा (अज्ञात)  | वसंत विहार डी. टी.सी. बस डिपो के सामने          | II / 311  | II / एफ-25            |
| 80 | बदरपुर की सराय  | बदरपुर गांव, दिल्ली मथुरा रोड़ पर               | IV / 6    | II / एफ-214, 215, 217 |
| 81 | टैंक  | पी.एस.बदर पुर के पास                            | IV / 8    | -                     |
| 82 | कोस मीनार   | सराय बदरपुर के उत्तरी दरवाजे के                 | IV / 9    | II / एफ-213           |

|    |   |   |          |             |
|----|---|---|----------|-------------|
|    |   | पास   |          |             |
| 83 | कोस मीनार   | अपोलो हॉस्पिटल<br>के पास मदनपुर<br>खादर                               | IV / 10  | II / एफ-213 |
| 84 | धर्मशाला  | कालकाजी के<br>मंदिर के आहाते<br>के अंदर                               | IV / 14  | II / एफ-104 |
| 85 | एक पुल  | कस्तूरबा पॉली<br>टैक्नीक फॉर<br>वूमन के पीछे,<br>महारानी बाग          | IV / 21  | -           |
| 86 | मकबरा (अज्ञात)  | लेडी श्रीराम<br>कॉलेज ऑफ<br>कॉमर्स के पास<br>जमरूदपुर गांव<br>के अंदर | IV / 26  | II / एफ-95  |
| 87 | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-   | IV / 27  | II / एफ-96  |
| 88 | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-   | IV / 28  | II / एफ-98  |
| 89 | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-   | IV / 29  | II / एफ-97  |
| 90 | मकबरा (अज्ञात)  | -वही-   | IV / 30  | II / एफ-99  |
| 91 | मकबरा (अज्ञात)  | जी.के.-2 पार्क<br>के अंदर   | IV / 32  | II / एफ-100 |
| 92 | बस्ती का मकबरा  | डिफेंस कॉलोनी,<br>'ए'-ब्लॉक जी.बी.<br>एस.एस.एस. के<br>पास             | IV / 37  | -           |
| 93 | मकबरा, मस्जिद और<br>बस्ती से जुड़े आहाते<br>का दरवाजा | -वही-   | IV/38    | I / डी-295  |
| 94 | झरना  | महरौली  | III / 82 | II / एफ-339 |
| 95 | बैण्ड   | महिपाल पुर से<br>महरौली की बाईं<br>ओर से सड़क<br>पर                   | IV/108   | II / एफ-105 |
| 96 | महल   | महिपाल पुर गांव<br>के मध्य  | IV / 109 | II / एफ-106 |
| 97 | एक गुम्बदीय भवन                                       | अधिशासी   | IV / 110 | -           |

|     |  |   |          |            |
|-----|--|---|----------|------------|
|     |  | अभियंता (आर. डब्ल्यू. एस.) के कार्यालय में, महिपाल पुर दक्षिण ट्यूबवैल नं.-1 महिपाल पुर |          |            |
| 98  | गेट-वे   | लाल प्यारु के पास, कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय, उप-मण्डल-1, पी.डब्ल्यू.डी. वसंत विहार    | IV / 118 | II / एफ-4  |
| 99  | बैण्ड  | एयरफोर्स स्टेशन के पास, वसंत विहार  | IV / 119 | -          |
| 100 | आस-पास में बाडा लाओ का गुम्बद के नाम से जाना जाने वाला मकबरा | डी.डी.ए. पार्क, वसंत विहार प्रिय सिनेमा के पास  | IV / 120 | II / एफ-10 |
| 101 | आस-पास में बारादरी के नाम से जाना जाने वाला मकबरा            | -वही-   | IV / 121 | II / एफ-10 |
| 102 | मस्जिद (नाम रहित)  | -वही-   | IV / 122 | II / एफ-11 |
| 103 | मुण्डा गुम्बद  | एम.सी.डी. समुदाय केन्द्र, वसंत विहार  | IV / 123 | -          |

स्रोत: पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार .